

प्रेषक,

अभिषेक आनंद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 12 फरवरी, 2026

विषय:- वर्ष 2026-27 के लिये आबकारी नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-04/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति (संशो.)/2026-27, दिनांक 30-01-2026, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2026-27 के लिये आबकारी नीति निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। तदनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के व्यापक राजस्वहित में वर्ष 2026-27 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. वर्ष 2026-27 के लिये आबकारी नीति:-

1.1 देशी मदिरा

वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति शतप्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पैक में किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

1.1.1 (क) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की श्रेणियां

यू.पी.एम.एल., की बिक्री देशी मदिरा दुकानों से ही अनुमन्य होगी। इसके प्रतिफल शुल्क का समायोजन लाइसेंस फीस में किया जायेगा। देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.स.	तीव्रता (प्रतिशत वी/वी)	प्रयुक्त ई.एन.ए. तथा मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	पैकिंग का प्रकार
1	25	शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित फूड कलर युक्त (सुवासित)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
2	36	शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
3	42.8	ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
4	42.8	ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	100	एसेप्टिक ब्रिक पैक

5	28	ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
---	----	---	-----	--------------------

(ख) यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की उपर्युक्त श्रेणियों के लिये एसेप्टिक ब्रिक पैक के बार्डर के रंग व रंग संयोजन के निर्धारण तथा रंग व रंग संयोजन में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रतिनिधानित किया जाता है।

1.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू./M.G.Q. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण

(क) राजस्वहित एवं व्यवस्थापनहित में, वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू. में निम्नानुसार वृद्धि करते हुये और प्राप्त एम.जी.क्यू. को 100 बल्क लीटर के अगले गुणक तक राउण्ड आफ कर वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक एम.जी.क्यू.(36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) का निर्धारण किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकान की श्रेणी	वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक एम.जी.क्यू. के निर्धारण के लिए वर्ष 2025-26 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में की जाने वाली वृद्धि का प्रतिशत
1	श्रेणी-1	04 प्रतिशत
2	श्रेणी-2	05 प्रतिशत
3	श्रेणी-3	05 प्रतिशत
4	श्रेणी-4	06 प्रतिशत
5	श्रेणी-5	08 प्रतिशत

(ख) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. का मासिक विभाजन निम्नवत् होगा:-

क्र.	माह	वार्षिक एम.जी.क्यू. का प्रतिशत
1.	अप्रैल	8.5 प्रतिशत
2.	मई	9.5 प्रतिशत
3.	जून	9.0 प्रतिशत
4.	जुलाई	8.0 प्रतिशत
5.	अगस्त	6.5 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6.5 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	8.5 प्रतिशत
8.	नवम्बर	9.5 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	9.5 प्रतिशत
10.	जनवरी	9.0 प्रतिशत
11.	फरवरी	8.0 प्रतिशत
12.	मार्च	7.5 प्रतिशत

मासिक विभाजन के पश्चात् माहवार आगणित एम.जी.क्यू. को निकटतम अगले पूर्णांक तक राउण्ड आफ किया जायेगा और इनके योग के समतुल्य संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दुकानवार अंतिम रूप से वार्षिक एम.जी.क्यू. का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों (प्रस्तर-1.11.2 (1) के प्रकरणों को छोड़कर) का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-1.9.2.1 में प्रावधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा, ताकि कोई अन्य दुकान कुप्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. तर्कसंगत हो। यह एम.जी.क्यू. 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों (प्रस्तर-1.11.2 (1) के प्रकरणों को छोड़कर) का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-1.1.2 के अनुसार निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

1.1.3 (क) देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस

वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर ₹32/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो किसी दुकान के लिये ₹1,000/- के गुणक में न आगणित होने पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।
2. देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के मासिक एम.जी.क्यू. से अधिक उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत् रखा जाता है।
3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस भी ₹32/- प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।
4. मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों के संबंध में देय बेसिक लाइसेंस फीस, वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि हेतु प्रस्तर-1.1.2(ख) के अनुसार निर्धारित एम.जी.क्यू. के आधार पर आगणित की जायेगी और अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी। इस हेतु माह के शेष दिवसों हेतु एम.जी.क्यू. का निर्धारण संबंधित माह हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. के आधार पर माह के दिवसों की संख्या के सापेक्ष समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनके 3 कि.मी. की परिधि में कोई कम्पोजिट दुकान अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं है, को राजस्वहित में बीयर की फुटकर बिक्री करने की अनुमति, अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर प्रदान की जा सकेगी। ऐसी देशी मदिरा दुकानों पर बीयर की बिक्री अनुमन्य किये जाने हेतु उनके सी.एल.-5सी अनुज्ञापन के अतिरिक्त उन्हें सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन भी प्रदान किया जायेगा। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी(कलेक्टर) द्वारा जनपद में सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन हेतु अर्ह देशी मदिरा दुकानों की सूची प्रकाशित करते हुए इच्छुक देशी मदिरा अनुज्ञापियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी दुकानों पर बीयर की बिक्री के संबंध में न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व/Minimum Guaranteed Annual Revenue(MGR) निर्धारित किया जायेगा, जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-1.6.1 में उल्लिखित बीयर की तालिका के अनुसार होगा; परन्तु यह न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, जनपद की कम्पोजिट दुकानों के एम.जी.आर.(बीयर) के औसत न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व प्रति कम्पोजिट शॉप का 10 प्रतिशत होगा और इसे एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) कहा जायेगा, जो जनपद में अतिरिक्त रूप से आरोपित होगा। बीयर की बिक्री की अनुमन्यता हेतु ऐसी दुकानों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-3) ली जायेगी जिसकी दर प्रस्तर-1.2.1(1) के अनुसार होगी और जिसे ₹1,000/- के अगले निकटतम गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए निर्धारित किया

जायेगा। सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों पर बीयर का उपभोग अनुमन्य होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) एवं लाइसेंस फीस-3 का लेखाजोखा प्रत्येक स्तर पर रखा जाना अनिवार्य होगा। सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों हेतु लाइसेंस फीस-3 के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति भी नियमानुसार अतिरिक्त रूप से जमा करायी जायेगी। देशी मदिरा की प्रतिभूति की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

वर्ष 2025-26 में प्रदत्त सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उसी स्थिति में किया जा सकेगा, यदि दुकान उपरोक्तानुसार अर्ह हो, परन्तु सी.एल.-5सी अनुज्ञापियों को अपने सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराये जाने की बाध्यता नहीं होगी और न ही नवीनीकरण का अधिकार होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी.एल.-5सीसी के नवीन स्वीकृति के प्रकरणों में भी 3 कि.मी. की परिधि में कोई कम्पोजिट शॉप अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं होने के प्रतिबंध का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन की समस्त देयताओं का निर्धारण प्रस्तर-1.2 एवं इस प्रस्तर के प्राविधानों के सापेक्ष किया जायेगा।

1.1.4 देशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस फीस

(क) 36 प्रतिशत तीव्रता की मदिरा के संदर्भ में गत वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर में वृद्धि करते हुये वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर ₹273/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(ख) देशी मदिरा दुकान की मासिक लाइसेंस फीस, जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान या समायोजन में विफल रहने पर संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. के समतुल्य 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की मदिरा के 200 एम.एल. के एसेप्टिक ब्रिक पैक की कुल संख्या की निकासी में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।

1.1.5 लाइसेंस फीस का समायोजन

(क) किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं होगा।

(ख) सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन के संबंध में न्यूनतम त्रैमासिक/मासिक प्रत्याभूत राजस्व एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) के उठान के संबंध में प्रस्तर-1.6.3 के प्रावधान भी लागू होंगे।

1.1.6 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. पर अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लिया जाना



(क) वर्ष 2026-27 के लिये 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा को छोड़कर यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की अन्य तीव्रताओं की एम.आर.पी. ₹10/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम.आर.पी. और ₹10/- के अगले गुणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

(ख) 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा की एम.आर.पी. ₹5/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम.आर.पी. और ₹5/- के अगले गुणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

1.1.7 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. का मूल्य निर्धारण

(1) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की समस्त श्रेणियों का अधिकतम फुटकर मूल्य तालिका-1 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(2) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की किसी श्रेणी की ई.डी.पी. में उत्पादक/आसवक द्वारा उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मदों की धनराशि (उत्पादन मूल्य, लाभ, परिवहन व्यय, बारकोड एवं क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन व्यय, ट्रेक एण्ड ट्रेस फीस, बॉटलिंग फीस आदि) सम्मिलित होगी।

(3) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी. में बार कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन के मद में ₹ 0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगा। उपरोक्त ₹ 0.15 में से ₹ 0.09 राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) प्रत्येक आसवक/उत्पादक को अपने ब्राण्ड के लेबिल पर श्रेणी यथा देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. तथा तीव्रता और यथास्थिति सुवासित अथवा मसाला एवं धारिता लिखना अनिवार्य होगा।

1.1.8 थोक अनुज्ञापनों से प्राप्त इंडेन्ट के सापेक्ष देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति की समय सीमा एवं विलम्ब की दशा में जुर्माना के संबंध में वर्ष 2026-27 हेतु निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:-

प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति इण्डेन्ट प्राप्ति से 03 कार्य दिवस के अंदर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेन्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा आसवक से विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रत्येक सप्ताह आगणित किया जायेगा और विलम्ब पाये जाने पर आसवनी द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा की जायेगी।

यदि एसेप्टिक ब्रिक पैक की प्रतिदिन की अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक के इण्डेन्ट प्रस्तुत किये जाते हैं, तो प्रतिदिन एसेप्टिक ब्रिक पैक की उत्पादन क्षमता से अधिक के प्रस्तुत इण्डेन्टों के सापेक्ष आपूर्ति में विलम्ब का आगणन नहीं किया जायेगा। विलम्ब के आगणन में इण्डेन्टों के वरीयता क्रम का संज्ञान अवश्य लिया जायेगा।

1.1.9 देशी मदिरा फुटकर दुकानों द्वारा किसी एक आसवनी के यू.पी.एम.एल. एवं/अथवा शीरा आधारित समस्त ब्राण्डों (समस्त सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापनों में उत्पादित) की मदिरा की निकासी अपने मासिक एम.जी.क्यू. के अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही ली जायेगी।

एम.जी.क्यू. के शेष 25 प्रतिशत के सापेक्ष शीरा आधारित देशी मदिरा एवं/अथवा यू.पी.एम.एल. के किसी ब्राण्ड/ब्राण्डों की निकासी अन्य आसवनी/आसवनियों से लिया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्राविधानों का पालन न करने पर एम.जी.क्यू. तक की निकासी में अनियमित रूप से ली गयी निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस की दो गुनी दर अर्थात् ₹ 64/- प्रति बल्क लीटर अर्थदण्ड के रूप में संबंधित अनुज्ञापी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। एम.जी.क्यू. से अधिक उठान पर एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त ली गयी निकासी की मात्रा पर उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। देशी मदिरा के प्रत्येक थोक अनुज्ञापन को भी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत होने पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

1.1.10 देशी मदिरा की आयात फीस

वर्ष 2026-27 में शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा की आयात फीस ₹1/- प्रति ए.एल. रखी जाती है।

1.1.11 आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति

विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्रावधानित की गयी व्यवस्था के समान व्यवस्था, वर्ष 2026-27 में रखी जाती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत बी.डब्लू.सी.एल.-1 अनुज्ञापनों की स्वीकृति आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान की जायेगी। बी.डब्लू.सी.एल.-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस 10 लाख तथा प्रतिभूति धनराशि 10 लाख यथावत् रखी जाती है। प्रतिबंध यह होगा कि मध्य सत्र में अनुज्ञापन स्वीकृत होने की दशा में व्यपगत अवधि की लाइसेंस फीस नहीं ली जायेगी।

1.1.12 देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. को बोतलों में भरने हेतु लाइसेंस तथा बॉटलिंग फीस:-

(क) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. को बोतलों में भरने हेतु प्रदान किये जाने वाले सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापनों से निम्नानुसार बाटलिंग फीस भराई के समय ही ली जायेगी:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की बोतल भराई की दर वर्ष 2026-27
1	सी.एल.बी.-1	04 पैसा प्रति 200 एम.एल.
2	सी.एल.बी.-2	10 पैसा प्रति 200 एम.एल.
3	सी.एल.बी.-1	02 पैसा प्रति 100 एम.एल.
4	सी.एल.बी.-2	05 पैसा प्रति 100 एम.एल.

उक्त दरों का अधिरोपण वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम मास में वित्तीय वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु की जाने वाली भराई पर भी किया जायेगा।

सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 लाइसेंस की लाइसेंस फीस संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये ₹2,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) वर्ष 2026-27 में सी.एल.बी.-2 लाइसेंस के अंतर्गत शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा की बोतलों की भराई तभी अनुमन्य होगी जब सी.एल.बी.-2 लाइसेंसधारी की अपनी आसवनी में शीरा आधारित ई.एन.ए. उत्पादन हेतु प्लांट मशीनरी संचालित हो।

1.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की फुटकर बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकान (एफ.एल.-5डीबी):-

1.2.1 कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस:-

कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:-

- (1) जनपद की प्रत्येक कम्पोजिट दुकान के वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (विदेशी मदिरा) अर्थात एम.जी.आर. (एफ.एल.) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्राप्त राशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित कम्पोजिट दुकान की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एम.जी.आर. (एफ.एल.) होगी।
- (2) जनपद की प्रत्येक कम्पोजिट दुकान के वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व(बीयर) अर्थात एम.जी.आर. (बीयर) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्राप्त राशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित कम्पोजिट दुकान की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एम.जी.आर. (बीयर) होगी।
- (3) वर्ष 2025-26 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित 'लाइसेंस फीस की दर-1' के आधार पर विदेशी मदिरा की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1) का आगणन किया जायेगा। प्राप्त धनराशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 निर्धारित की जायेगी।
- (4) वर्ष 2025-26 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित 'लाइसेंस फीस की दर-2' के आधार पर बीयर की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-2) का आगणन किया जायेगा। प्राप्त धनराशि को ₹ 5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 निर्धारित की जायेगी।
- (5) इस प्रकार आगणित अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 का योग कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। प्रत्येक कम्पोजिट दुकान की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 और संबंधित एम.जी.आर. (एफ.एल.) एवं एम.जी.आर.(बीयर) का प्रत्येक स्तर पर लेखाजोखा रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (6) उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पर लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (7) यदि किसी कम्पोजिट दुकान के परिसर में मॉडल शॉप हेतु आवश्यक अर्हताएं विद्यमान हों और संबंधित अनुज्ञापी द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि उसकी कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित करते हुए परिसर में मदिरा पान की सुविधा प्रदान की जाय, तब मदिरा पान शुल्क लेकर संबंधित कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जाना निम्नांकित

समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों का क्रम से अनुपालन करते हुए तत्काल प्रभाव से (इस आबकारी नीति के प्रख्यापन के दिनांक से) अनुमन्य होगा:-

1. कम्पोजिट दुकान का परिसर मॉडल शॉप हेतु अर्हकारी होना चाहिये।

2.(क) मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर तक की परिधि में स्थित गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त 200 मीटर की परिधि में गतवर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शाप हों, तब मॉडल शाप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शाप की औसत लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(ख) 200 मीटर की परिधि में कोई भी गतवर्ष से संचालित मॉडल शाप नहीं होने की स्थिति में मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर तक की परिधि में स्थित इस कम्पोजिट दुकान से सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 90 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शाप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शाप की लाइसेंस फीस का 90 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 90 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ग) बिन्दु (क) एवं (ख) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक की परिधि में स्थित गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 70 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में गतवर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शाप हों, तब मॉडल शाप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शाप की औसत लाइसेंस फीस के 70 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(घ) बिन्दु (क), (ख) एवं (ग) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक की परिधि में सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 75 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शाप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शाप की लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ङ) बिन्दु (क), (ख), (ग) एवं (घ) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 500 मीटर से अधिक तथा 1000

मीटर तक की परिधि में स्थित गत वर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में गत वर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शॉप हों, तब मॉडल शॉप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शॉप की औसत लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(च) बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 500 मीटर से अधिक तथा 1000 मीटर तक की परिधि में सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शॉप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस का 60 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 60 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की निर्धारित कुल लाइसेंस फीस यदि उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम आती है, तब इसमें उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की सीमा तक वृद्धि की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान के 1000 मीटर तक यदि कोई गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप अथवा कोई अन्य कम्पोजिट दुकान न हो और उक्त दुकान की कुल लाइसेंस फीस उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम हो, तब कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस में उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की सीमा तक वृद्धि की जायेगी।

उपर्युक्त समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तन हेतु किसी कम्पोजिट दुकान की निर्धारित की जाने वाली कुल लाइसेंस फीस के संबंध में निम्नांकित स्थितियाँ लागू हो सकती हैं:-

(I) 1000 मीटर तक की परिधि में कोई अन्य कम्पोजिट दुकान अथवा गतवर्ष से संचालित एक या अधिक मॉडल शॉप संचालित होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अनुसार निर्धारित कुल लाइसेंस फीस तथा 1000 मीटर तक की परिधि में कोई अन्य कम्पोजिट दुकान अथवा गतवर्ष से संचालित एक या अधिक मॉडल शॉप संचालित न होने की स्थिति में इस उप प्रस्तर के परन्तुक के अनुसार निर्धारित कुल लाइसेंस फीस।

(II) मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित कुल लाइसेंस फीस।



(III) संबंधित श्रेणी (अवस्थिति) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु-(I), (II) एवं (III) के आगणित कुल लाइसेंस फीस में से अधिकतम कुल लाइसेंस फीस को ही अंतिम रूप से निर्धारित किया जायेगा। किसी भी दशा में किसी कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस मॉडल शॉप में परिवर्तन हेतु कम नहीं की जायेगी।

इस प्रकार अंतिम रूप से निर्धारित लाइसेंस फीस को निकटतम रुपया 5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार देय अंतिमीकृत लाइसेंस फीस और पूर्व निर्धारित कुल लाइसेंस फीस का अंतर(यदि कोई हो) आबकारी वर्ष की शेष अवधि के अनुपात में अग्रिम रूप से जमा कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस में होने वाली वृद्धि को कम्पोजिट दुकान की पूर्व निर्धारित लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 के अनुपात में विभक्त किया जायेगा। तत्पश्चात्, जैसा कि आबकारी नीति के प्रस्तर-1.2.1 में वर्णित है, लाइसेंस फीस-1 में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष लाइसेंस फीस की दर-1 के अनुसार पूर्व निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) में भी वृद्धि की जायेगी। इसी प्रकार लाइसेंस फीस-2 में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष लाइसेंस फीस की दर-2 के अनुसार पूर्व निर्धारित एम.जी.आर.(बीयर) में भी वृद्धि की जायेगी और वृद्धि के पश्चात् प्राप्त कम्पोजिट दुकान का नवीन एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं एम.जी.आर.(बीयर) का योग दुकान का कुल एम.जी.आर.(मॉडल शॉप के रूप में) निर्धारित किया जायेगा, जिसे निकटतम ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा।

5. किसी कम्पोजिट दुकान का इस प्रकार मॉडल शॉप में परिवर्तन किये जाने के पश्चात्, संबंधित कम्पोजिट दुकान का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

6. परिवर्तित मॉडल शॉप हेतु बीयर एवं एफ.एल. का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पृथक-पृथक नहीं निर्धारित होगा। अनुजापी को प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति का अंतर तथा अन्य देयताओं के अंतर (यदि कोई हो) की धनराशि भी जमा करनी होगी। मदिरा पान शुल्क भी प्रचलित दर से देय होगा।

(8) कम्पोजिट दुकानों की प्रतिभूति उनकी लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1+लाइसेंस फीस-2) का 10 प्रतिशत होगी।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित एम.जी.आर. (एफ.एल.) अथवा एम.जी.आर. (बीयर) से अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस, पूर्व की भाँति वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं ली जायेगी।

(10) कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(11) मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली कम्पोजिट दुकान की देय लाइसेंस फीस, वर्ष की अवशेष अवधि हेतु प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) के आधार पर लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इस हेतु माह के आंशिक भाग के लिए एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) का निर्धारण संबंधित माह हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) (जिसका निर्धारण चलित

त्रैमास हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(बीयर) को दैनिक आधार पर समानुपातिक रूप से आगणित करते हुए किया जायेगा) के आधार पर माह के अवशेष दिवसों की संख्या के आलोक में समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

1.2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण:-

वर्ष 2026-27 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा

क्र. सं.	ई.डी.पी. प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (₹)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (₹)	एम.आर.पी. (MRP) (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	₹242+ई.डी.पी. का 75%	₹3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	₹60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2,4,5 एवं 6 का योग जिसे ₹10/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा।
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	₹264+ई.डी.पी. का 82%	₹4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	₹60+ई.डी.पी. का 20%	-तदैव-
3.	125 से अधिक, 250 तक	रेगुलर	₹272+ई.डी.पी. का 83%	₹4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	₹75+ई.डी.पी. का 10%	-तदैव-
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	₹279+ई.डी.पी. का 85%	₹4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	₹75+ई.डी.पी. का 10%	-तदैव-
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	₹294+ई.डी.पी. का 90%	₹4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	₹85+ई.डी.पी. का 7.5%	-तदैव-
6.	600 से अधिक	स्कॉच	₹304+ई.डी.पी. का 95%	₹4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	₹85+ई.डी.पी. का 7.5%	-तदैव-

नोट:- 1. अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

2. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगा :-

EDP of SKU* less than 180ML.	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)
------------------------------	--

EDP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-2
EDP of SKU greater than 375ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-7

*SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।

*EDP का आशय Ex Distillery Price से है।

3. 90 एम.एल. व 60 एम.एल. के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

1.2.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माण:-

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण अनाज आधारित ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2026-27 में भी यथावत रखा जाता है। रम को छोड़कर अन्य प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा में शीरा आधारित ई.एन.ए. का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

1.2.4 प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को विदेशी मदिरा की आपूर्ति:-

वर्ष 2026-27 में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:-

1. लाइसेंस फीस

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस की दर
1	एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए	1. विदेशी मदिरा- ₹35.00/- प्रति बोतल (750 एम.एल.) 2. बीयर- ₹7.00/- प्रति कैन (500 एम.एल.), (अन्य धारिताओं के लिए लाइसेंस फीस समानुपातिक होगी) 3. एल.ए.बी.- ₹5.00/- प्रति कैन/बोतल,
2	एफ.एल.-2ए	₹10,000/- प्रति वर्ष प्रति अनुज्ञापन

2. वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। बीयर, वाइन, एवं एल.ए.बी. हेतु उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

3. एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य होगी।

4. सेना एवं अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों के कर्मियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. एवं वाइन की भी बिक्री अनुमन्य होगी।

5. केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन और एफ.एल.-9 अनुज्ञापन भी अनुमन्य होंगे।

1.2.5 (क) एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस का निर्धारण:-

वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-1 अथवा एफ.एल.-1ए की लाइसेंस फीस ₹ 11,00,000/- से बढ़ाकर ₹11,50,000/- (रुपया ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) एवं प्रतिभूति धनराशि ₹ 1,10,000/- से बढ़ाकर ₹1,15,000/- (रुपया एक लाख पन्द्रह हजार मात्र) प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है, परन्तु ऐसे एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष

2026-27 अथवा अग्रेतर वर्षों के लिए पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। नये एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹100,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण फीस भी ₹100,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी परन्तु नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ख) एफ.एल.-3ए की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)	एफ.एल.-3ए लाइसेंस की नवीनीकरण फीस (रुपये में)
1	एक करोड़ तक	4 लाख
2	एक करोड़ एक से दो करोड़ तक	8 लाख
3	दो करोड़ एक से तीन करोड़ तक	12 लाख
4	तीन करोड़ एक से चार करोड़ तक	16 लाख
5	चार करोड़ से अधिक	30 लाख

(ग) एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण की फीस के संबंध में अधिकतम लाइसेंस फीस से संबंधित श्रेणी को छोड़कर, किसी श्रेणी की अधिकतम सीमा से अधिक बाटलिंग फीस जमा करने वाली इकाइयों से संबंधित उच्च श्रेणी की लाइसेंस फीस चलित वर्ष में ही ली जायेगी। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लाइसेंस फीस के संबंध में भी लागू होगा।

(घ) एफ.एल.-3ए अनुज्ञापन में उत्तर प्रदेश की आपूर्ति हेतु भरी जाने वाली विदेशी मदिरा अथवा बीयर पर फ्रैंचाइजी फीस वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति निम्नांकित दर से आरोपित किये जाने का प्रावधान किया जाता है :-

क्र. सं.	बोतलों/केनों में भरी जाने वाली मदिरा का प्रकार	उपभोग का प्रकार	वर्ष 2025-26 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइजी फीस की दर	वर्ष 2026-27 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइजी फीस की दर
1	बीयर	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹0.80 प्रति ब.ली.	₹0.80 प्रति ब.ली.
2	विदेशी मदिरा (प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी)	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹4.00 प्रति ब.ली.	₹4.00 प्रति ब.ली.
3	विदेशी मदिरा (ईकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणी)	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹3.00 प्रति ब.ली.	₹3.00 प्रति ब.ली.

1.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम:-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए अनुज्ञापनों का, वर्ष 2026-27 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में संबंधित अनुज्ञापनी द्वारा आवेदन करने पर वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2025-26 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में यथावत् रखा जाता है।

1.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क, प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थाएं:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस गतवर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(2) नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय गतवर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण फीस ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है। नवीनीकरण की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2026-27 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2025-26 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	18.50	9.00	17.50	9.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	13.50	6.00	12.50	6.50
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.00	1.50	3.00	1.50
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.00	1.50	3.00	1.50

(4) अन्य व्यवस्थाएं:-

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाँण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे, तो उसे विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रासेसिंग फीस अथवा नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस ली जाएगी।

बाँण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स, उनके लेबिलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा बाण्डवार कराया जायेगा।

(ख) गत वर्ष की भौति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2026-27 हेतु पंजीकरण फीस ₹2,00,000/- (दो लाख मात्र) प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयरहाउस द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु रूपया ₹2,00,000/- (दो लाख मात्र) नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा; परन्तु यह कि नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ग) नवीनीकृत बाँण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2025-26 में प्रतिफल शुल्क अथवा अन्य शुल्कों के मद में अग्रिम रूप से जमा और अप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2026-27 में अग्रणीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बाँण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले पारेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त श्रेणी की मदिरा के बाण्डों एवं एफ.एल.-1/1ए हेतु भी मास्टर वेयर हाउस का पंजीकरण कराया जाना अनुमन्य होगा। मास्टर वेयरहाउस की व्यवस्था में एक ही स्वामित्व वाले बाँण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल.-1/1ए अनुज्ञापनों के साथ उसी स्वामित्व वाले बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन को भी सम्मिलित किया जाना अनुमन्य होगा और ऐसी व्यवस्था करने हेतु ऑनलाइन सुविधा विकसित की जायेगी।

1.2.8 विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस:-

वर्ष 2026-27 में बोतलों में देश के अंदर से प्रदेश में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ₹12/- प्रति बल्क लीटर ली जाएगी। माल्ट स्पिरिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्पिरिट आदि के बल्क में आयात पर ₹ 25/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जाएगी। बल्क विदेशी मदिरा (माल्ट स्पिरिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्पिरिट आदि को छोड़कर) अथवा ग्रेन ई.एन.ए. के देश के अन्य प्रदेशों से आयात (यू.पी.एम.एल. के उत्पादन हेतु आयात को छोड़कर) करने पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2026-27 में ₹15/- प्रति बल्क लीटर की दर से ली जायेगी। अन्य देशों से आयातित माल्ट स्पिरिट, एच.बी.एस., स्पेशल स्पिरिट, बल्क स्पिरिट आदि पर आयात परमिट फीस भी उपरोक्तानुसार निर्धारित संबंधित दरों पर ही ली जायेगी।

1.2.9 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. व 60 एम.एल. की धारिता में बिक्री:-

वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम.एल. की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी बिक्री अनुमन्य की जाती है।

1.2.10 बार एवं क्लब लाइसेंस तथा समारोह बार लाइसेंस :-

(क) बार एवं क्लब लाइसेंस :-

1. समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के अनुसार संचालित एवं व्यवस्थित होंगे।
2. किसी बहुमंजिला भवन के किसी तल पर बार अनुज्ञापन की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परिसर के लिए, यदि वैध रेस्टोरेंट लाइसेंस प्राप्त कर रेस्टोरेंट संचालित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त परिसर अथवा संपूर्ण बहुमंजिला भवन का वैध अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र (दोनों में से कोई एक) होना आवश्यक होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।
3. वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु पात्र आवेदकों के मामलों में परिसर के निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी।
4. किसी बार अनुज्ञापन परिसर से संबंधित भवन के दूसरे परिसर/टेरेस में बार अनुज्ञापनी द्वारा अपने अतिरिक्त बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत या ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र), जो अधिक हो, शुल्क लिया जायेगा।
5. बार अनुज्ञापनों के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी एवं नवीनीकरण फीस लाइसेंस फीस का 01 प्रतिशत होगी। बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बार अनुज्ञापन के प्रकरणों में परिसर की उपयुक्तता के संबंध में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. मॉडल शॉप दुकानों को लाभप्रद बनाये रखने हेतु नगर निगम से आच्छादित क्षेत्रों एवं उसकी 5 कि.मी. की परिधि में तथा जनपद-गौतमबुद्धनगर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, मॉडल शॉप दुकानों से, पथिक मार्ग से 300 मीटर से कम दूरी पर कोई नया एफ.एल-7 अथवा एफ.एल.-7(1) अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह दूरी दोनों परिसरों के मुख्य द्वार से प्रस्तावित परिसर के मुख्य द्वार के मध्य तक मापी जायेगी। पूर्व से स्वीकृत बार अनुज्ञापनों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
7. यदि किसी जनपद में प्रस्तावित बार परिसर किसी अन्य जनपद के विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत स्थित हो, तब लाइसेंस फीस का निर्धारण परिसर को संबंधित विकास प्राधिकरण में स्थित मानते हुये किया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।
8. बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को प्रशमित करते हुए देयताओं पर दण्डक ब्याज भी अधिरोपित किया जायेगा। इस हेतु विलम्ब की अधिकतम अवधि 6 माह निर्धारित की जाती है।
9. वैध रेस्टोरेंट संचालन अनुज्ञापन प्राप्त ऐसे रेस्टोरेंट, जो बार अनुज्ञापन हेतु अन्य अर्हतायें पूर्ण करते हो, को बार अनुज्ञापन की स्वीकृति के संबंध में, जिला बार समिति (संबंधित जिला का जिला कलेक्टर-अध्यक्ष, संबंधित जिला का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट सहायक पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी-सदस्य तथा संबंधित मण्डल का उप आबकारी आयुक्त-सदस्य)



द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 20 कार्य दिवस में निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि जिला बार समिति की बैठक के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समिति के अन्य सदस्यों से, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 15 कार्य दिवस के अंदर, आख्या प्राप्त की जायेगी। समयांतर्गत आख्या प्राप्त न होने पर संबंधित सदस्य की अनापत्ति मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

10. (क) जलाशयों में स्थापित (इंजिन युक्त अथवा इंजिन रहित) जलयानों/फ्लोटिंग प्लेटफार्मों पर संचालित मानक रेस्टोरेंटों में भी एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाना अनुमन्य होगा।

(ख) ऐसे रेस्टोरेंट, जो सक्षम संबंधित स्थानीय निकाय से वैध रेस्टोरेंट संचालन अनुज्ञापन प्राप्त हों तथा एफ.एस.एस.ए.आई. से निर्गत वैध अनुज्ञापन प्राप्त हों, को अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने पर बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने में, परिसर के वाणिज्यिक क्षेत्र में होने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

11. वर्ष 2026-27 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	बार अनुज्ञापनों के प्रकार	विशेष श्रेणी	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इनकी परिधि से 5 कि.मी. तक जो भले ही नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/ रेस्टोरेंट एवं क्लब बार।	गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद लखनऊ, के संपूर्ण जिला क्षेत्र (विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही	बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र/ जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी	अन्य समस्त जनपदों के जिला मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित	विशेष श्रेणी, श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/ रेस्टोरेंट एवं क्लब बार।

			नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	
11	एफ.एल.-6 (होटल बार)	वार्षिक लाईसेंस फीस (रुपये में)				
	एफ.एल.-6 (पांच सितारा एवं उच्च होटल जो डायमण्ड/प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत हों)	27.50 लाख	25 लाख	20 लाख	15 लाख	12.50 लाख
	एफ.एल.-6 (चार सितारा होटल जो प्लेटिनम/गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत हों)	25 लाख	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख
	एफ.एल.-6 (तीन सितारा होटल जो गोल्ड/सिल्वर श्रेणी में वर्गीकृत हों)	20 लाख	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	9 लाख
2	50 कमरों तक (अतारांकित) जो सिल्वर/ब्रांज श्रेणी में वर्गीकृत हों	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	5 लाख
	51 से 100 कमरों तक	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख

	(अतारांकित) जो सिल्वर/ब्रांज श्रेणी में वर्गीकृत हों					
	101 या उससे अधिक कमरे (अतारांकित) जो सिल्वर/ब्रांज श्रेणी में वर्गीकृत हों	20 लाख	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
3	एफ.एल.-7 (रेस्टोरेंट बार)	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	5.00 लाख
4	एफ.एल.-7ए (क्लब बार)		वार्षिक लाइसेंस फीस			
	(क) 100 सदस्यों तक	5 लाख	4 लाख	3 लाख	1.5 लाख	1.5 लाख
	(ख) 100 से अधिक सदस्यों के लिए	8 लाख	6 लाख	4 लाख	2 लाख	2 लाख
5	एफ.एल.-8 (विशेष रेल गाड़ियों एवं क्लूज)	विशेष रेल गाड़ियों - रूपया 15 लाख क्लूज (अंतरराष्ट्रीय)- रूपया 5 लाख क्लूज (अंतरराज्यीय)- रूपया 3 लाख				
6	एफ.एल.- 'ए.एल.-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस)	डोमेस्टिक टर्मिनल हेतु रूपया 5 लाख इन्टरनेशनल टर्मिनल हेतु रूपया 6 लाख				

नोट:- (1) उ.प्र. पर्यटन के अंतर्गत डायमण्ड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रांज श्रेणी में क्लासिफाइड होटलों से इतर होटलों को निर्गत किये जाने वाले एफ.एल.-6 बार लाइसेंस की फीस 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ ली जायेगी।

(2) प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी सेवन के विरुद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड परिपत्र संख्या:9853-9937/ग्यारह-ई.आई.बी./नारकोटिक्स संदेश बोर्ड/प्रयागराज दिनांक 06.01.2022 के अनुसार उचित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(3) किसी एफ.एल.-6 बार अनुज्ञापन द्वारा अपने होटल की स्टार रेटिंग को छुपाये जाने का प्रकरण प्रकाश में आने पर कार्यवाही करते हुये लाइसेंस फीस के अंतर की धनराशि नियमानुसार देय दण्डक ब्याज के साथ वसूली जायेगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

1.2.10 (ख) बार अनुज्ञापनों की अतिरिक्त कार्यावधि

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भाँति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती है:-

1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 2:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित बार अनुज्ञापनों से ₹1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 1:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

2- तारांकित होटलों में ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति 02 घण्टा की अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 04:00 बजे तक।

3- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर जनपद में स्थित समस्त अतारांकित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 2:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित बारों से ₹1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 1:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

4- तारांकित होटलों में इनहाउस गेस्ट्स के लिये मदिरा परोसने की अवधि के संबंध में उपर्युक्त बिन्दु-3 के प्रावधान से छूट प्रदान की जाती है।

5- (क) इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की कार्यावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुए आन लाइन आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा, परन्तु यह अवधि अधिकतम 12 घंटे ही होगी। इससे अधिक अवधि हेतु पृथक इवेंट बार लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की अवधि विलम्बतम प्रातः 2:00 बजे तक ही सीमित होगी।

(ख) इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की लाइसेंस फीस प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

समारोह बार लाइसेंसों का वर्गीकरण	क्षेत्र	वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो, हेतु प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹500/- प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए।
(ख) किसी गेटेड आर.डब्ल्यू.ए. के परिसर के अंतर्गत वहां के निवासियों द्वारा आर.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्राप्त कर आयोजित गैर वाणिज्यिक समारोह हेतु प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹1,000/- प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए।
(ग) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्ट्स/ फार्म हाउस/बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹11,000/- (एक काउंटर हेतु) प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए।

अन्य किसी स्थान में आयोजित समारोह (प्रवेश शुल्क रहित) के लिए प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन। (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)।		
(घ) किसी स्टेडियम/गोल्फ कोर्स में अथवा रेसिंग ट्रैक पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों अथवा आई.पी.एल. के आयोजन के संबंध में किसी व्यक्ति/आयोजक संस्था को प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹1,50,000/- (एक काउंटर हेतु) प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए।
(ङ) किसी स्टेडियम/गोल्फ कोर्स में अथवा रेसिंग ट्रैक पर आयोजित राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के खेलों के आयोजन हेतु किसी व्यक्ति/आयोजक संस्था को प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹75,000/- (एक काउंटर हेतु) प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए।
(च) इण्टरटेनमेंट शो, प्रदर्शनी, कामेडी शो, मैजिक शो, सेलिब्रिटी शो, मेगा शो एवं अन्य समतुल्य आयोजनों (प्रवेश शुल्क युक्त) हेतु प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	समस्त नगर निगम क्षेत्रों एवं इनकी सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में एवं जनपद- गौतमबुद्धनगर	1- 2,000 दर्शकों तक ₹50,000/- (एक काउंटर हेतु) 2- 2001 से 5,000 दर्शकों तक ₹75,000/- (एक काउंटर हेतु) 3- 5001 से 10000 दर्शकों तक ₹1,00,000/- (एक काउंटर हेतु) 4- 10001 अथवा अधिक दर्शकों के लिए ₹2,00,000/- (एक काउंटर हेतु)
(छ) इण्टरटेनमेंट शो, प्रदर्शनी, कामेडी शो, मैजिक शो, सेलिब्रिटी शो, मेगा शो एवं अन्य समतुल्य आयोजनों (प्रवेश शुल्क युक्त) के लिये प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	क्रमांक-(च) में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर	1- 2,000 दर्शकों तक ₹20,000/- (एक काउंटर हेतु) 2- 2001 से 5,000 दर्शकों तक ₹35,000/- (एक काउंटर हेतु) 3- 5001 से 10000 दर्शकों तक ₹45,000/- (एक काउंटर हेतु) 4- 10001 अथवा अधिक दर्शकों के लिए ₹100,000/- (एक काउंटर हेतु)
(ज) निजी कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह हेतु प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹2,500/- प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिए।

नोट:- एक से अधिक काउंटर हेतु लाइसेंस फीस उपर्युक्त तालिका में निर्धारित दर का 50 प्रतिशत प्रति अतिरिक्त काउंटर होगी।

6- यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टॉक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है, तब इवेंट बार अनुज्ञापन धारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक/स्वामी प्रत्येक पर ₹1,00,000/- तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, साथ ही संयुक्त प्रांत आबकारी

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी और अन्य प्रदेश के पाये गये स्टॉक पर उत्तर प्रदेश के तत्समय विद्यमान नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत आगणित कुल प्रतिफल शुल्क की 10 गुना धनराशि भी वसूल की जायेगी। मदिरा क्रय स्थल की सूचना और क्रय की गयी मदिरा का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

7- एफ.एल.-'ए.एल.'-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस) के लिये अतिरिक्त कार्यावधि हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। इनकी संचालन अवधि एअरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

8- राजस्वहित में तथा कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त तालिका के क्रमांक-(ग) में वर्णित इवेंट लाइसेंस के संबंध में यह प्रावधानित किया जाता है कि संपूर्ण जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद तथा जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज के नगर निगम क्षेत्रों एवं उनकी सीमा से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित किसी रेस्टोरेंट या होटल द्वारा एक बार में न्यूनतम लगातार 06 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों एवं उसकी सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में किसी रेस्टोरेंट या होटल द्वारा एक बार में लगातार न्यूनतम 3 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उक्त इवेंट लाइसेंस की लाइसेंस फीस की दर ₹11,000 प्रतिदिन होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

जनपद गौतमबुद्धनगर तथा समस्त नगर निगम से आच्छादित जनपदों में एक बार में अधिकतम लगातार 15 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना भी अनुमन्य किया जाता है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेंटों एवं होटलों में किसी व्यक्ति द्वारा यदि निजी प्रयोजन हेतु इवेंट लाइसेंस के लिये आवेदन किया जाता है, तब उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा एवं उस व्यक्ति द्वारा एक दिन का इवेंट लाइसेंस लिया जा सकेगा। किन्तु यदि यह पाया जाता है कि संबंधित रेस्टोरेंट या होटल द्वारा छद्म रूप से किसी अन्य व्यक्ति के निजी प्रयोजन के नाम पर इवेंट लाइसेंस लिया गया है, तब संबंधित रेस्टोरेंट और होटल का पंजीकरण निरस्त कर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

1.2.10 (ग) बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण/स्वीकृति

1. वर्ष 2025-26 में बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षों तक कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे 2026-27 हेतु यथावत रखा जाता है। माइक्रोब्रिवरी से 5 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्यूटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ का निर्धारण आबकारी आयुक्त के स्तर से किया जायेगा।

2. वर्ष 2026-27 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में ₹1,00,000/- (एक लाख मात्र) की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी। माइक्रोब्रिवरी के नवीन अनुज्ञापन की स्वीकृति का अधिकार गतवर्ष की भाँति आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।



3. ईज ऑफ इंडिंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु पूर्व की भाँति जिला कलेक्टर के स्तर से किया जायेगा।

1.2.10 (घ) यदि किसी एफ.एल.-7 अथवा एफ.एल.-7ए अनुज्ञापन के परिसर में ही लान, स्वीमिंग पूल अथवा टेरेस भी है और परिसर में निर्धारित बिक्री काउण्टर से अधिक बिक्री काउण्टर होने का औचित्य पाया जाता है, तब अनुज्ञापी के प्रार्थना पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया जायेगा और स्वीकृति की दशा में ऐसे परिसर में प्रति अतिरिक्त बिक्री काउण्टर हेतु लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत अथवा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र), जो भी अधिक हो, अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जायेगी।

1.2.10 (ङ) वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के संलग्नक-5 के अनुसार वर्ष 2026-27 में यथावत रखी जाती है।

1.2.10 (च) समारोह बार लाइसेंसों के वर्गीकरण की उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-(ग) के अंतर्गत समारोह बार लाइसेंस (इवेंट लाइसेंस) लेने वाले रिसार्ट, फार्महाउस, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हाल, होटल आदि को विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹5,000/-, आबकारी वर्ष या इसके किसी भाग के लिये लिया जायेगा।

1.2.10 (छ) (1) वर्ष 2026-27 में बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. को छोड़कर अन्य प्रकार की मदिरा की बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

(2) (क) वर्ष 2026-27 में समस्त बार अनुज्ञापनों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, समुद्रपार आयातित मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. का क्रय निर्धारित एम.आर.पी. पर करना होगा और यथास्थिति फुटकर विक्रेता का मार्जिन अथवा फुटकर तथा थोक विक्रेता दोनों का मार्जिन राजकोष में जमा करना होगा।

(ख) एम.आर.पी. पर मदिरा क्रय किये जाने के प्रावधान के दृष्टिगत बार अनुज्ञापनों द्वारा स्पेशल फीस जमा किये जाने का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(3) बार अनुज्ञापनों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन और एल.ए.बी. को छोड़कर) की बिक्री पेग में ऐसी दरों पर की जायेगी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण बोतल की बिक्री से प्राप्त धनराशि एम.आर.पी. से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक हो।

(4) बार अनुज्ञापनों द्वारा बीयर, वाइन और एल.ए.बी. की सील बंद बोतलों की बिक्री एम.आर.पी. से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर की जायेगी।

उपर्युक्त संपूर्ण उपप्रस्तर-(छ) का अनुपालन न पाये जाने की दशा में संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी और ₹1,00,000 तक का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जायेगा।

1.2.10 (ज) 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों हेतु अतिथियों के कमरों में विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. और 60 एम.एल. धारिता की मिनिचेयर बोतलों को भी उपभोग हेतु रखा जाना अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों में ₹1,000/- एम.आर.पी. और इससे कम एम.आर.पी. की बोतलों वाली

विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन और एल.ए.बी. को छोड़कर) को परोसा जाना अनुमन्य नहीं होगा। जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में एफ.एल.-7 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापनों पर भी एम.आर.पी. सीमा का यह प्राविधान लागू होगा। बार में मिनियेचर बोतलों का उपभोग एवं परोसना अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु यह कि वोदका एवं रम के मामलों में न्यूनतम एम.आर.पी. की सीमा ₹500/-प्रति 750 एम.एल. होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

1.2.11 उत्तर प्रदेश के जनपद-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, और लखनऊ में मात्र लो अल्कोहलिक स्ट्रेन्थ बिवरेजेज, बीयर, वाइन एवं आर.टी.डी. हेतु भी बार अनुज्ञापन प्रपत्र एफ.एल.-7(1) में प्रदान किये जायेंगे। एफ.एल.-7(1) बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹4.00 लाख वार्षिक होगी। एफ.एल.-7(1) बार लाइसेंसों हेतु लाइसेंस फीस की देयता, प्रतिभूति की दर, प्रासेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस इत्यादि की दर एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापनों के समान होगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 1.2.10(छ)(2) तथा 1.2.10(छ)(4) के प्रावधान लागू होंगे। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

चूँकि एफ.एल.-7(1) अनुज्ञापन एवं एफ.एल.-7 अनुज्ञापन की अर्हताएं एवं स्वीकृति प्रक्रिया एक समान हैं, अतः एफ.एल.-7(1) अनुज्ञापन को जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर कलेक्टर द्वारा एफ.एल.-7 अनुज्ञापन में परिवर्तित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी। इस स्थिति में दोनों अनुज्ञापनों की समस्त देयताओं का अंतर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस का अंतर अवशेष त्रैमास के आधार पर समानुपातिक जमा कराया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एफ.एल.-7(1) अनुज्ञापन को एफ.एल.-7 में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः जिला बार समिति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी।

1.3 भारत निर्मित वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक बिवरेजेज-एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस, बिक्री की अनुमन्यता एवं वाइन की फुटकर बिक्री की दुकानें:-

1.3.1 प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति, जो अन्य फुटकर दुकान के अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु अर्ह हो, को केवल स्व-उत्पादित एवं प्रतिफल शुल्कमुक्त वाइन की फुटकर बिक्री हेतु वर्ष 2026-27 में समस्त जनपदों में अधिकतम दो वी-5 अनुज्ञापन प्रति जनपद स्वीकृत किये जा सकेंगे जिसकी लाइसेंस फीस संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु गौतमबुद्धनगर तथा अन्य समस्त जनपदों जहाँ नगर निगम स्थित हों, के लिए ₹50,000 तथा अन्य जनपदों के लिए ₹30,000/- निर्धारित की जाती है। मध्य सत्र में स्वीकृत होने वाले वी-5 लाइसेंसों की लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के समानुपात में आगणित करते हुये ₹1,000/- के अगले गुणक में निर्धारित की जायेगी। इन दुकानों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जाता है।

प्रतिबंध यह होगा कि द्राक्षासवनी द्वारा वी-5 अनुज्ञापन हेतु अधिकृत प्रतिनिधि के पास अन्य कोई फुटकर दुकान का अनुज्ञापन नहीं होना चाहिए। किसी एक अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में संपूर्ण प्रदेश में दो से अधिक वी-5 अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

द्राक्षासवनी द्वारा अपनी-अपनी जनपदीय दुकानों को सीधे निकासी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसी स्थितियों में थोक विक्रेता का मार्जिन राजकोष में जमा करना होगा। इन द्राक्षासवनियों

से बार एवं क्लब बार अनुज्ञापनों को सीधे वाइन की आपूर्ति भी अनुमन्य होगी और इस स्थिति में बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन को फुटकर मार्जिन एवं थोक मार्जिन राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

वी-5 दुकानों पर संबंधित द्राक्षासवनी के परिक्षेत्र में द्राक्षासवक द्वारा खाद्य प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों यथा अचार, मुरब्बा, शहद आदि की बिक्री करना भी अनुमन्य होगा।

वी-5 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापी के अनुरोध पर किया जायेगा। वी-5 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण शुल्क ₹1,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है।

1.3.2 वाइन, साइडर, शरी एवं पेरी पर प्रतिफल शुल्क एवं आपूर्ति:-

(क) वर्ष 2026-27 में भारत में निर्मित वाइन (जिसमें नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रकार की वाइन भी सम्मिलित मानी जायेगी) पर आयात शुल्क, ₹4/- प्रति बल्क लीटर रखा जाता है।

(ख) समुद्रपार आयातित वाइन (फोर्टिफाइड वाइन को छोड़कर) पर प्रतिफल फीस, प्रस्तावित एम.आर.पी. के 40 प्रतिशत के समतुल्य, जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी, निर्धारित की जाती है। समुद्रपार आयातित फोर्टिफाइड वाइन पर प्रतिफल फीस प्रस्तावित एम.आर.पी. के 50 प्रतिशत के समतुल्य, जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी, निर्धारित की जाती है।

(ग) वर्ष 2026-27 हेतु भारत निर्मित वाइन (फोर्टिफाइड वाइन को छोड़कर) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	श्रेणी (तीव्रता के आधार पर) प्रतिशत वी./वी.	ई.डब्ल्यू.पी. प्रति बोतल (750 एम.एल.) (₹)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (₹)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 प्रतिशत वी./वी. तक	ई.डब्ल्यू.पी.	ई.डब्ल्यू.पी. का 40%+₹55	ई.डब्ल्यू.पी. का 4%	ई.डब्ल्यू.पी. का 15%	कालम 3,4,5 एवं 6 का योग, जिसे ₹10/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा।
2.	10 प्रतिशत वी./वी. से अधिक	ई.डब्ल्यू.पी.	ई.डब्ल्यू.पी. का 45%+₹60	ई.डब्ल्यू.पी. का 4%	ई.डब्ल्यू.पी. का 15%	-तदैव-

नोट- 1. वर्ष 2026-27 हेतु भारत निर्मित फोर्टिफाइड वाइन, जिसकी अल्कोहलिक तीव्रता, खाद्य संरक्षा और मानक(अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018(यथासंशोधित) के अनुसार होना अनिवार्य

होगा, पर ई.डब्लू.पी. के 15 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त रूप से प्रतिफल फीस आरोपित होगी।

2. अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

3. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डब्लू.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डब्लू.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डब्लू.पी. का आगणन निम्नानुसार होगा :-

EWP of SKU less than 180ML	$EWP(\text{Size of SKU}) = [EWP(180)/180] * (\text{Size of SKU})$
EWP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML	$EWP(\text{Size of SKU}) = [EWP(180)/180] * (\text{Size of SKU}) - 2$
EWP of SKU greater than 375ML	$EWP(\text{Size of SKU}) = [EWP(180)/180] * (\text{Size of SKU}) - 7$

*SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।

*EWP का आशय Ex Winery Price से है।

4. 90 एम.एल. व 60 एम.एल.के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डब्लू.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डब्लू.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

1.3.3 कम तीव्रता के मादक पेय/ लो अल्कोहलिक रेडी टु ड्रिंक बिवरेजेज (एल.ए.बी):-

वर्ष 2026-27 में कम तीव्रता के मादक पेय की एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस का निर्धारण गतवर्ष की भाँति निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जायेगा :-

क्र.सं	एल.ए.बी. की तीव्रता आधारित श्रेणी	ई.डी.पी. प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (₹)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1	8 प्रतिशत वी/वी तक	ई.डी.पी.	ई.डी.पी. का 50 प्रतिशत +₹125	ई.डी.पी. का 1.25 प्रतिशत +₹2.00	ई.डी.पी. का 20 प्रतिशत +₹10.00	कालम 3,4,5 एवं 6 का योग, जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा।
2	8 प्रतिशत वी/वी से अधिक	ई.डी.पी.	ई.डी.पी. का 60 प्रतिशत +₹130	ई.डी.पी. का 1.25 प्रतिशत +₹2.00	ई.डी.पी. का 20 प्रतिशत +₹10.00	-तदैव-

नोट:- 1. अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।



2. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगा:-

EDP of SKU less than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)
EDP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-2
EDP of SKU greater than 375ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-7

*SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।

*EDP का आशय Ex Distillery Price से है।

1.4 बीयर, ऐल, पोटर:-

1.4.1 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.

वर्ष 2025-26 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण, 500 मि.ली. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिए, समान रूप से करते हुए किया गया है, जिसे वर्ष 2026-27 हेतु यथावत् रखा जाता है।

वर्ष 2026-27 हेतु बीयर का प्रतिफल शुल्क एवं एम.आर.पी. का आगणन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी / बाण्डधारक इकाई / एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 मि.ली. (₹)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली.) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली.) (₹)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.50 तक	₹31+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	₹1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	₹12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1,2,3 एवं 4 का योग, जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा।
27.50 से अधिक से 30.00 तक	₹32+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	₹1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	₹12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	-तदैव-
30.00 से अधिक से 35.00 तक	₹33+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	-तदैव-
35.00 से अधिक से 40.00 तक	₹35+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	-तदैव-

40.00 से अधिक से 45.00 तक	₹35+ई.बी.पी. का 105 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	-तदैव-
45.00 से अधिक	₹35+ई.बी.पी. का 110 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	-तदैव-

नोट:- 1. अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक और फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

2. बीयर की ई.बी.पी. का निर्धारण पूर्व में गठित मूल्य निर्धारण समिति की सभी मानकों को दृष्टिगत रखते हुए औचित्यपूर्ण संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

3. 500 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.बी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.बी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.बी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगा :-

EBP of SKU* less than or equal to 500ML	EBP(Size of SKU)= [EBP(500)/500]*(Size of SKU)
EBP of SKU more than 500 ML	EBP(Size of SKU)= [(EBP(500)-2)/500]*(Size of SKU)

*SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।

*EBP का आशय Ex Brewery Price से है।

1.4.2 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं:-

(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

वर्ष 2026-27 में प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्तित भारत निर्मित बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 09 माह निर्धारित की जाती है।

(ख) बोतलों/कैनो में भरी हुयी भारत निर्मित बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, एल पर आयात शुल्क ₹4.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

1.4.3 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस

वर्ष 2026-27 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिए परमिट फीस की दर रूपया 175/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

1.4.4 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर एवं अन्य व्यवस्थाएं:-

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2026-27 में ₹100/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

1.5 मॉडल शॉप्स और प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स:-

1.5.1 मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस

(क) वर्ष 2026-27 हेतु मॉडल शॉप्स की वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित की गयी लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में नवीनीकृत मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिए नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। उक्त निर्णय वर्ष 2026-27 में यथावत् रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-



27 हेतु मॉडल शॉप के परिसर का न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट निर्धारित किया जाता है।

(ख) यदि नगर निगम क्षेत्रों अथवा गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत किसी मॉडल शॉप के परिसर का कार्पेट क्षेत्रफल (प्रयुक्त समस्त तलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए) 3,000 वर्ग फुट अथवा अधिक है, तब अनुज्ञापी के आवेदन पर इस मॉडल शॉप को प्रीमियम मॉडल शॉप का अनुज्ञापन एफ.एल.-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जा सकेगा तथा इसे 2027-28 तक नवीनीकृत किया जायेगा। ऐसी मॉडल शाप्स की संख्या में से जनपद की अधिकतम राजस्व(न्यूनतम निर्धारित प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व एवं लाइसेंस फीस का योग) वाली 02 दुकानों को ही एफ.एल.-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। उक्त अनुज्ञापी को उक्त सुविधा हेतु ₹ 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा। ऐसी प्रीमियम मॉडल शॉप का नवीनीकरण संबंधित वर्ष की देयताओं पर अनुज्ञापी की सहमति की दशा में ही किया जायेगा। उक्त प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होंगे।

(ग) राजस्वहित में प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों एवं संपूर्ण जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप द्वारा अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के न्यूनतम 5 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा एवं न्यूनतम 2 प्रतिशत के समतुल्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश के समस्त प्रीमियम रिटेल वेण्ड द्वारा अपने निर्धारित न्यूनतम एम.जी.आर. के न्यूनतम 05 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा एवं न्यूनतम 02 प्रतिशत के समतुल्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा के सुपर प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप पर वार्षिक मदिरा पान का शुल्क रूपया 3,00,000/- निर्धारित किया जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप से न्यूनतम 6 माह का मदिरा पान शुल्क लिया जायेगा। जिस छमाही में दुकान व्यवस्थित होगी, उस छमाही का भी मदिरा पान शुल्क देय होगा अर्थात् 01.04.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप को संपूर्ण वार्षिक मदिरा पान शुल्क देना होगा और दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप को अर्द्धवार्षिक मदिरा पान शुल्क देना होगा। किसी माह में दैनिक आधार पर व्यवस्थित मॉडल शॉप पर न्यूनतम 01 माह का मदिरा पान शुल्क(वार्षिक मदिरा पान शुल्क का 1/12 भाग) अधिरोपित होगा। यदि दैनिक संचालन अगले माहों में भी होता है, तब माहवार मदिरा पान शुल्क लिया जायेगा। किसी भी स्थिति में एक माह से कम का मदिरा पान शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

1.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) लाइसेंस फीस

(क) वर्ष 2025-2026 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु ₹ 25.0 लाख वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित है, जिसे वर्ष 2026-27 हेतु गतवर्ष के समान ही निर्धारित किया जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों की लाइसेंस फीस, वर्ष के अवशेष दिवसों के आधार पर समानुपातिक रूप से देय होगी।

(ख) किसी व्यक्ति अथवा एकल स्वामित्व वाली पंजीकृत फर्म को 02 से अधिक प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। परन्तु यह प्रावधान संगत नियामवली, 2020(यथासंशोधित) के नियम-5 में वर्णित अन्य श्रेणियों के आवेदकों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ग) माल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य नहीं होंगे।

(घ) माल्स में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों के परिसर को छोड़कर अन्य कहीं मंदिरा का उपभोग किया जाना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

(ङ) मॉल की परिभाषा से आच्छादित एवं संचालित हो रहे शापिंग काम्प्लेक्सों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड खोले जाने के उद्देश्य से उनके अधिसूचित वाणिज्यिक क्षेत्रों में होने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(2) (क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम के ₹700/-प्रति 750 एम.एल. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 750 एम.एल. वाले ब्राण्डों और बीयर के ₹140/- प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 500 एम.एल. केन वाली ब्राण्ड की बिक्री की जायेगी। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं, उन ब्राण्डों की सभी धारिताएं बिक्री के लिए अनुमन्य होंगी।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर (1) आयातित विदेशी मंदिरा ब्राण्डों (2) सुपर प्रीमियम या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मंदिरा ब्राण्डों एवं (3) ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त श्रेणियों की बिक्री अनुमन्य होगी।

(ग) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(घ) सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। इस आशय का प्रतिबंध कि हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में खुलने वाले प्रीमियम रिटेल वेण्ड का द्वार मुख्य भवन के अंदर की ओर होगा, को समाप्त किया जाता है।

(ङ) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी, किन्तु टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(3) जनपद-गौतमबुद्धनगर, और समस्त नगर निगमों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी) हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले परिसरों के समान अन्य परिसरों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी) हेतु अनुमन्य श्रेणी की वाइन एवं एल.ए.बी./RTD की बिक्री हेतु एक अन्य प्रकार के प्रीमियम रिटेल वेण्ड के लिये एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन भी स्वीकृत किये जायेंगे। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन पर समस्त एम.आर.पी. की बीयर की बिक्री अनुमन्य होगी। एफ.एल.-4डी लाइसेंस केवल मल्टीप्लेक्स युक्त शॉपिंग माल में स्थित दुकानों के परिसर हेतु ही स्वीकृत किये जायेंगे। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस ₹5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है, परन्तु मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाले एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन द्वारा देय लाइसेंस फीस का आगणन एफ.एल.-4सी की भाँति ही किया जायेगा। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापनों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया

जाता है कि यह अनुज्ञापन सिनेमा हाल या सिनेमा हाल परिसर में अनुमन्य नहीं होगा तथा सिनेमा हाल में मदिरापान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

1.6 कम्पोजिट दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप में मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान की अनिवार्यता:-

1.6.1 वर्ष 2026-27 हेतु कम्पोजिट दुकानों का वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) प्रस्तर-1.2.1 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड और मॉडल शॉप का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, वर्ष 2025-26 में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2026-27 में नवसृजित कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप का यथास्थिति वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) अथवा न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के आधार पर दुकानों हेतु मासिक राजस्व/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का निम्नानुसार निर्धारण किया जायेगा :-

(क) मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप का मासिक प्रत्याभूत राजस्व, वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/12 भाग होगा; परन्तु प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का विभाजन त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा, जो वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/4 भाग होगा।

परन्तु यह कि किसी भवन में नवस्वीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकान का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व उसी भवन में पूर्व से संचालित सर्वाधिक वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व के 80 प्रतिशत से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ख) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम.जी.आर. (एफ.एल.) का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	माह	वार्षिक एम.जी.आर. (एफ.एल.) का प्रतिशत
1.	अप्रैल	7 प्रतिशत
2.	मई	10 प्रतिशत
3.	जून	8 प्रतिशत
4.	जुलाई	6 प्रतिशत
5.	अगस्त	6 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	10 प्रतिशत
8.	नवम्बर	10 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	10 प्रतिशत
10.	जनवरी	10 प्रतिशत
11.	फरवरी	9 प्रतिशत
12.	मार्च	8 प्रतिशत

(ग) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम.जी.आर. (बीयर) का त्रैमासिक विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा:-

क्र.सं.	माह	न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का प्रतिशत
1.	प्रथम त्रैमास	38 प्रतिशत
2.	द्वितीय त्रैमास	26 प्रतिशत
3.	तृतीय त्रैमास	17 प्रतिशत
4.	चतुर्थ त्रैमास	19 प्रतिशत

किसी त्रैमास में न्यूनतम त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान में कमी को अगले त्रैमास तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तर-1.6.3 के अधीन अनुमन्य होगा।

1.6.2 मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक/मासिक/ त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर, वाइन और एल.ए.बी. इत्यादि का राजस्व सम्मिलित माना जाएगा।

1.6.3 किसी भी माह/त्रैमास हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने के प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 बैंक कार्य दिवस का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में दुकान के अनुज्ञापन के निरस्तीकरण की कार्यवाही लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी और कुल राजस्व क्षति की नियमानुसार वसूली की जायेगी। दुकान पर उपलब्ध अविक्रीत स्टॉक को जब्त कर लिया जायेगा। संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में आवश्यक राजस्व (पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रस्तर के प्रयोजनार्थ किसी माह/त्रैमास में न उठाये गये एम.जी.आर. का प्रतिशत आगणित किया जायेगा और प्रशमन धनराशि का निर्धारण ₹ 50,000/- के उसी प्रतिशत के समतुल्य अथवा ₹ 5,000/- जो भी अधिक हो, होगा।

परन्तु यह कि प्रतिफल शुल्क से छूट प्राप्त वाइन की बिक्री करने वाला फुटकर लाइसेंसधारी, यथास्थिति मासिक/ त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (एमजीआर) (यदि लागू हो) के समायोजन का दावा करने के लिए पात्र होगा। इस प्रतिफल शुल्क-मुक्त वाइन के संपूर्ण प्रतिफल शुल्क घटक (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क, विशेष प्रतिफल शुल्क और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क सहित) के समायोजन की कुल मात्रा वास्तविक उठान की सीमा तक या एफएल-2 लाइसेंसों से उठाने के मामले में कुल मासिक एमजीआर के अधिकतम 0.05 प्रतिशत तक, और एफएल-2बी लाइसेंसों से उठाने के मामले में त्रैमासिक एमजीआर के अधिकतम 0.05

प्रतिशत तक, जो भी कम हो, होगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी फुटकर लाइसेंसधारी के लिए प्रतिफल शुल्क मुक्त वाइन के सापेक्ष कुल मासिक/त्रैमासिक समायोजन 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त सीमा से अधिक प्रतिफल शुल्क की वाइन की निकासी लिये जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु ऐसी स्थिति में वाइन के प्रतिफल शुल्क के घटक का समायोजन एम.जी.आर. में किया जाना अनुमन्य नहीं होगा किन्तु वास्तविक रूप से अधिरोपित किये गये अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क और विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अनुमन्य होगा।

1.7 समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति:-

1.7.1 वर्ष 2026-27 में समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

- (1) आयातक इकाई का तात्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) धारक से है।
 - (2) समुद्रपार आयातित मदिरा का आयात करने वाली ऐसी समस्त आयातक इकाइयों (क) जो प्रदेश में सीधे अपने किसी कस्टम बॉण्ड में आयात कर अथवा (ख) अन्य प्रांतों में स्थित किन्हीं अन्य आयातक इकाइयों के कस्टम बॉण्डों से स्थानांतरण प्राप्त कर अथवा (ग) अन्य प्रांतों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को स्थानांतरण कर अथवा (घ) प्रदेश में स्थित किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा का स्थानांतरण कर अथवा (ङ) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करती हों, को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई एवं उसके किसी एक कस्टम बॉण्ड के युग्म का एक पंजीकरण किया जायेगा।
 - (3) उपर्युक्त पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क रूपया 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है, जो ऑनलाइन जमा किया जायेगा।
 - (4) आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत आयातक इकाइयों को परस्पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश से बाहर अथवा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अंदर कस्टम बॉण्ड से कस्टम बॉण्ड समुद्रपार मदिरा का स्थानांतरण/लेन-देन/व्यापार आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर भरा जाना अनिवार्य होगा।
 - (5) प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का व्यवसाय करने वाली आयातक इकाइयों को प्रदेश के थोक अथवा विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य होगा।
 - (6) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का लाइसेंस शुल्क ₹10,00,000/- (रूपया दस लाख मात्र) एक आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति धनराशि ₹5,00,000/- (रूपया पाँच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।
- चूँकि पारेषण अत्यंत छोटे होते हैं अतः आपूर्ति को सुचारु बनाये जाने के उद्देश्य से बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों को प्रदेश में न्यूनतम 3 मास्टर गोडाउन, जहाँ डिबॉण्डेड (समस्त देय भुगतानित) समुद्रपार आयातित मदिरा संचित की जा सकेगी और जहाँ से विहित फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापनों को आपूर्ति की जा सकेगी, लेना अनुमन्य किया जाता है। ऐसे प्रत्येक मास्टर गोडाउन को बी.आई.ओ.-1(बी) अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, जो पैत्रिक बी.आई.ओ.-1 से संबद्ध होंगे और वहाँ से पारेषण प्राप्त किये जा सकेंगे। थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों द्वारा अपने मांग पत्र पैत्रिक बी.आई.ओ.-1 पर ही प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन मास्टर गोडाउन हेतु

निर्गत तीन बी.आई.ओ.-1बी लाइसेंसों की समेकित लाइसेंस फीस ₹10,00,000/- (रुपया दस लाख मात्र) देय होगी। उक्त प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होंगे।

(7) किसी जनपद के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के अंतर्गत उसी जनपद में स्थित मात्र एक कस्टम बॉण्ड ही संबद्ध किया जायेगा, परन्तु किसी एक कस्टम बॉण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक-पृथक स्पेस आवंटित कराकर उन्हें अपने बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों से संबद्ध कराया जा सकता है।

(8) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संबद्ध किये जाने वाले कस्टम बॉण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्पेस आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के संचालन हेतु एक डिबॉण्डेड मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा, जिसका परिसर उसी जनपद में तथा संबद्ध कस्टम बॉण्ड के परिसर से बाहर होगा। बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आयातक इकाइयों द्वारा प्रदेश में स्थित अपने बी.आई.ओ.-1 से प्रदेश के बाहर के किसी थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता (कस्टम बॉण्ड को छोड़कर), जिसके पास वैध आयात परमिट हो, को कस्टम ड्यूटी पेड मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से ऑनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से ही की जायेगी। उपरोक्त निर्यात (कस्टम बॉण्ड से अन्य कस्टम बॉण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर ₹ 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(10) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश में स्थित अपने कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा के स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर अपेक्षित समस्त सूचनाओं को भरा/अपलोड किया जायेगा तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का निःशुल्क अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश के बाहर की किसी आयातक इकाई जो उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हों, से ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया के अनुसार मदिरा का एक बॉण्ड से दूसरे बॉण्ड में स्थानांतरण प्राप्त करना होगा अथवा स्थानांतरित करना होगा तथा इस हेतु प्रदेश में स्थित इकाई को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(12) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को विदेश से सीधे मदिरा आयात किये जाने की स्थिति में पोर्टल पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।



(13) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को अपने कस्टम बॉण्ड में प्राप्त मदिरा एवं इसकी निकासी का वांछित विवरण, अपेक्षित प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन वार अनुमोदन/पंजीकरण निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुये, कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड के प्रमुख आयातक/ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र अनिवार्य नहीं होगा। इस हेतु भारत सरकार से निर्गत ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इस हेतु विदेश से निर्गत कोई समकक्ष प्रमाण पत्र ही आवश्यक होगा, परन्तु किसी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(15) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों के प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्डों में संचित किये जाने वाले ऐसे समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों, जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को नहीं की जानी होगी, का भी ऑनलाइन अनुमोदन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन/पंजीकरण निःशुल्क होगा।

(16) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को एक कस्टम बॉण्ड से दूसरे कस्टम बॉण्ड की निकासी से संबंधित रीवेयरहाउसिंग प्रमाण पत्र पोर्टल पर नियत समयावधि में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य कस्टम बॉण्ड हेतु जाने वाले समस्त पारेषणों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्गत एफ.एल.-36 परिवहन पास के अंतर्गत ही प्रेषित किया जायेगा।

(17) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के पारेषण छोटे होते हैं, अतः बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी।

(18) वर्ष 2026-27 हेतु गतवर्ष के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाना अनुमन्य होगा। नवीनीकरण फीस ₹ 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) निर्धारित की जाती है। नये बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹ 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण के मामलों में प्रासेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(19) यदि उत्तर प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से मदिरा व्यवसाय करने वाली आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तब उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(20) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी यदि किसी अन्य नगर निगम के जनपद अथवा मण्डल मुख्यालय के जनपद में भी अनुज्ञापन लेना चाहता है, तब उसे बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा, जिसकी लाइसेंस फीस ₹5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) होगी। इस लाइसेंस को बी.आई.ओ.-1 की समस्त सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(21) बी.आई.ओ.-1 के गोदाम तक, बी.आई.ओ.-1 से सबद्ध कस्टम बाण्ड से आने वाले पारेषणों तथा प्रदेश में एक कस्टम बाण्ड से दूसरे कस्टम बाण्ड को जाने वाले पारेषणों से संबंधित वाहनों में जी.पी.एस. डिवाइस का प्रयोग अनिवार्य होगा।

1.7.2 समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की एम. आर. पी. एवं परमिट फीस

वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. की एम.आर.पी.का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

(1) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की एम.आर.पी.

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (₹)	कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्ज (₹)	बी.आई.ओ.-1 का लाभांश (₹)	कस्टम ड्यूटी (₹)	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (₹)	परमिट फीस (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (₹)	अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से	1+2+3	विदेशी मदिरा के मामले में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	₹5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹90+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	कालम 4,5,6,7 एवं 8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

नोट:-अन्य धारिताओं हेतु परमिट फीस, थोक और फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(2) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित परमिट फीस
₹0 से ₹600 तक	₹400 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत
₹600 से अधिक से ₹1,500 तक	₹650 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत
₹1,500 से अधिक से ₹3,000 तक	₹1,000+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत
₹3000 से अधिक	₹1,500+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत

(3) समुद्रपार आयातित बीयर की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा

सी.आई. एफ. मूल्य (₹)	कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्ज (₹)	बी.आई.ओ -1 का लाभांश (₹)	कस्टम ड्यूटी (₹)	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (₹)	परमिट फीस (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (₹)	अधिकतम मूल्य (₹)	खुदरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से	1+2+3	₹ 175/- प्रति ब.सी.	आयातक द्वारा प्रस्तावित	आयातक द्वारा प्रस्तावित	कालम 4,5,6,7 एवं 8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)	

(4) समुद्रपार आयातित वाइन की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा

सी.आई. एफ. मूल्य	घोषित कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्ज	घोषितबी.आई.ओ. -1 का लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस(प्रति फल फीस)	थोक विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से	1+2+3	समुद्र पार आयातित वाइन (फोर्टिफाइड वाइन को छोड़कर) पर प्रस्तावित एम.आर.पी. का 40 प्रतिशत जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी,	₹5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (750 एम.एल.) का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹90.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (750 एम.एल.) का 10 प्रतिशत (यथावश्यकता अनुपातिक)	कालम 4,5,6,7 एवं 8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

					अथवा समुद्र पार आयातित फोटिफाइड वाइन पर प्रस्तावित एम.आर.पी. का 50 प्रतिशत जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी।			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

नोट:- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक और फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(5) समुद्रपार आयातित एल.ए.बी. की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा :-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (₹)	कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्ज (₹)	बी.आई. ओ.-1 का लाभांश (₹)	कस्टम इयूटी (₹)	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (₹)	परमिट फीस (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (₹)	अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से	1+2+3	LAB के मामले में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	₹5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 4.50% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹50+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 11% (यथावश्यकता अनुपातिक)	कालम 4,5,6,7 एवं 8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

एल.ए.बी. की परमिट फीस

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल	वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित परमिट फीस
(750 एम.एल.)	(750 एम.एल.)
₹ 0 से 150 तक	₹125+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 50 प्रतिशत
₹150 से अधिक	₹125+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 100 प्रतिशत

नोट:-अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक और फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(6) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी. की एम.आर.पी. अनुमोदन के उपरांत यदि भारत सरकार द्वारा कस्टम ड्युटी की दर में कोई कमी की जाती है तब संबंधित ब्राण्ड के पूर्व अनुमोदित एम.आर.पी. का मध्य सत्र में पुनरीक्षण किये जाने एवं एम.आर.पी. अनुमोदन को संशोधित किये जाने का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है। कस्टम ड्युटी की दर में भारत सरकार द्वारा किये गये किसी परिवर्तन की सूचना आयातक इकाई द्वारा अविलम्ब आबकारी आयुक्त को दी जायेगी। आयातक इकाई द्वारा सूचना दिये जाने में किये गये अनावश्यक विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुये, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1.8 भांग

1.8.1 (क) लाइसेंस फीस

भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस, वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जाती है, जिसे ₹1,000/- के अगले गुणक में राउण्ड आफ किया जायेगा। वर्ष 2025-26 में जिन भांग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका, उन्हें समाप्त किया जाता है।

(ख) भांग की फुटकर दुकानों से संबंधित प्रतिफल शुल्क की मासिक किश्तों में पूर्व माहों में जमा अधिक धनराशि का समायोजन अनुमन्य होगा।

1.8.2 भांग की थोक आपूर्ति

वर्ष 2025-26 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में इस संबंध में कोई नवीन व्यवस्था लागू होने तक यथावत रखा जाता है। नवीन व्यवस्था लागू होने की कट आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तिकों के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

1.9 कम्पोजिट दुकानों, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप का सृजन

1.9.1 वर्ष 2025-26 हेतु में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप की कुल दुकानों की संख्या के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। इससे अधिक दुकानों के नवसृजन की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

1.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस

1.9.2.1 वर्ष 2026-27 हेतु असेवित क्षेत्र में नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू., लाइसेंस फीस-3(यथास्थिति) एवं नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में) एवं यथास्थिति लाइसेंस फीस-3	न्यूनतम लाइसेंस फीस (₹)
		देशी मदिरा	कम्पोजिट दुकान
1.	जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-1)	1-एम.जी.क्यू.-26,600 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹13,60,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹2,60,000/-
2.	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-2)	1-एम.जी.क्यू.-26,600 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹13,60,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹2,60,000/-
3.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-3)	1-एम.जी.क्यू.-19,000 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹4,65,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹1,40,000/-
4.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-4)	1-एम.जी.क्यू.-11,500 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹2,25,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹85,000/-
5.	अन्य क्षेत्रों (श्रेणी-1,2,3,4 को छोड़कर)में (श्रेणी-5)	1-एम.जी.क्यू.-4,000 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹1,20,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹75,000/-

नोट:- 1- नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण के साथ ही उनकी लाइसेंस फीस-1 तथा लाइसेंस फीस-2 का निर्धारण करते हुए तदनुसार एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं एम.जी.आर. (बीयर) का निर्धारण भी किया जायेगा।

2- नवसृजित देशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात अनुज्ञापी के आवेदन करने पर ही लाइसेंस फीस-3(जैसा कि प्रस्तर-1.1.3(ख) में परिभाषित है) का निर्धारण, इस हेतु दुकान की उपयुक्तता के आधार पर, करते हुए तदनुसार एम.जी.आर. (सीएल-बीयर) भी निर्धारित किया जायेगा।

1.9.2.2 नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस

वर्ष 2026-27 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	क्षेत्र की श्रेणी	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	श्रेणी-1	न्यूनतम ₹75.00 लाख।
2.	श्रेणी-2	न्यूनतम ₹65.00 लाख।
3.	श्रेणी-3	न्यूनतम ₹40.00 लाख।
4.	श्रेणी-4	न्यूनतम ₹35.00 लाख।
5.	श्रेणी-5	न्यूनतम ₹30.00 लाख।

मॉडल शॉप की प्रतिभूति धनराशि कम्पोजिट दुकानों की भाँति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

1.10 देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, भांग दुकानों, प्रीमियम मॉडल शॉप तथा मॉडल शॉप दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2026-27 के व्यवस्थापन के संबंध में आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्तर-5.11 का सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

" अनुज्ञापियों के व्यवसाय में स्थायित्व लाने, दुकानों में किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में ई-लॉटरी द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रस्तर 5.5.1(ब) में उल्लिखित प्रीमियम मॉडल शॉप्स को निर्धारित देयताओं एवं प्रतिबंधों/शर्तों पर नवीनीकरण कराने का विकल्प वर्ष 2026-27 के साथ वर्ष 2027-28 के लिये भी उपलब्ध होगा। वर्ष 2026-27 तथा प्रीमियम मॉडल शॉप की स्थिति में वर्ष 2027-28 हेतु नवीनीकरण किये जाने की अनुमन्यता पर अंतिम निर्णय लिये जाने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।"

अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन प्रथमतः ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हुए नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।

1.10.1 कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा:-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2. वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, भी देना होगा।

पूर्व के भवन/परिसर की अनुपलब्धता की स्थिति में दुकानों का नवीनीकरण इस शर्त के साथ कि उक्त दुकान की अवस्थिति में परिवर्तन न हो, परिवर्तित चौहद्दी पर भी किया जा सकता है और इस संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।



1.10.2 देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप, और प्रीमियम मॉडल शॉप, के वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) संबंधित जिले के जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिले की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिले की व्यवस्थित और नवीनीकरण हेतु अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिले की वेबसाइट तथा आबकारी विभाग के ई-लॉटरी पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 2025-26 की अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस (रुपये में)				
		जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-1)	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2)	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3)	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-4)	अन्य क्षेत्रों (श्रेणी-1,2,3,4 को छोड़कर)में स्थित दुकानें (श्रेणी-5)
1	देशी मदिरा दुकान	₹65,000/-	₹60,000/-	₹50,000/-	₹45,000/-	₹40,000/-



2	कम्पोजिट दुकान	₹90,000/-	₹85,000/-	₹75,000/-	₹65,000/-	₹55,000/-
3	मॉडल शॉप अथवा प्रीमियम मॉडल शॉप	₹1,00,000/-	₹90,000/-	₹80,000/-	₹70,000/-	₹60,000/-
4	भाग	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-

नोट:- 1- ई-लॉटरी हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रासेसिंग फीस ली जायेगी।

2- उक्त प्रासेसिंग फीस नॉन-रिफण्डेबल होगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि को 03 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक एवं निर्धारित रीति से जमा की जा सकेगी। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि को निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। अर्थदण्ड सहित मात्र 15 बैंक कार्य दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निम्नानुसार निरस्त कर दिया जायेगा और दुकान का अग्रेतर व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति, जो 2026-27 के लिए अग्रेनीत की जानी थी, का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2025-26 में निरस्त कर दिया जाता है, तब उस दुकान के लिए वर्ष 2026-27 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा, परन्तु नवीनीकरण एवं प्रासेसिंग फीस वापस नहीं होगी। इस वापसी के पूर्व वर्ष 2025-26 की बकाया देयताओं का समायोजन भी किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुकान को उचित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

1.10.3 देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप, और प्रीमियम मॉडल शॉप, की नवीनीकरण फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	नवीनीकरण फीस (रुपये में)				
		जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-1)	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2)	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3)	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-4)	अन्य क्षेत्रों (श्रेणी-1,2,3,4 को छोड़कर)में स्थित दुकानें (श्रेणी-5)
1	देशी मदिरा दुकान	₹1,00,000/-	₹1,00,000/-	₹90,000/-	₹70,000/-	₹40,000/-
2	कम्पोजिट दुकान	₹1,05,000/-	₹1,05,000/-	₹95,000/-	₹70,000/-	₹55,000/-
3	मॉडल शॉप अथवा प्रीमियम मॉडल शॉप	₹1,05,000/-	₹1,05,000/-	₹95,000/-	₹70,000/-	₹55,000/-
4	भांग	₹6,500/-	₹6,500/-	₹6,500/-	₹6,500/-	₹6,500/-
5	सी.एल.-5सीसी	₹2,000/-	₹2,000/-	₹2,000/-	₹2,000/-	₹2,000/-

1.10.4 प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी), प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4डी), बार अनुज्ञापन एवं वी-5 आदि का नवीनीकरण

(क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी एवं एफ.एल.-4डी) तथा बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण नियमानुसार निर्धारित देयताओं पर अनुज्ञापी द्वारा 28 फरवरी, 2026 तक प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर निर्णय लेते हुए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी) की प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस वर्ष 2026-27 के लिये गतवर्ष के समान ₹75,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी) की नवीन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस की दर ₹ 75,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4डी) की प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस वर्ष 2026-27 के लिए गतवर्ष के समान ₹15,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4डी) की नवीन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस की दर ₹15,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4डी) तथा वी-5 लाइसेंसों का नवीनीकरण भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी) की ही भाँति किया जायेगा।

1.10.5 अन्य फुटकर लाइसेंसों, जिनके नवीनीकरण शुल्क की दर पृथक से निर्धारित नहीं है का नवीनीकरण, लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत की दर से नवीनीकरण शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

1.11 ई-लॉटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप का वर्ष ई-लॉटरी हेतु व्यवस्थापन, ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उक्त ई-लॉटरी का प्रथम चरण वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की दर/लाइसेंस फीस/ वार्षिक राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन यथास्थिति प्रस्तर-1.1.2(ख) अथवा प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा।

नोट:- (1) व्यवस्थापन एवं राजस्वहित में प्रथम चरण की ई-लॉटरी के पश्चात् यथावश्यकता ई-लॉटरी के प्रत्येक चरण हेतु एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस/वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व के तदनुसार निर्धारण के संबंध में पृथक-पृथक आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

1.11.2 (1) ई-लॉटरी के चतुर्थ चरण के पश्चात् तत्समय की स्थिति में कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा/एवं लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण(पंचम चरण) का व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस हेतु अव्यवस्थित/नवसृजित देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 32/- प्रति लीटर एम.जी.क्यू. (पुनरावंटित) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों के मध्य अव्यवस्थित कुल वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/ एम.जी.आर. (एफ.एल.) एवं एम.जी.आर. (बीयर) का पुनरावंटन तर्कसंगत ढंग से किया जायेगा।

(2) ई-लॉटरी के पंचम चरण के व्यवस्थापन में कतिपय जिलों में व्यवस्थापन पूर्ण हो चुके होने के पश्चात असेवित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नवसृजित की गयीं दुकानों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(3) उपरोक्त उप प्रस्तर-(1) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के पंचम चरण के माध्यम से किया जाएगा और ई-लॉटरी के अंतिम चरण (पंचम चरण) के पश्चात् अव्यवस्थित समस्त दुकानें समाप्त हो जायेंगी।

1.11.3 (1) वर्ष 2026-27 हेतु ई-लॉटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, एवं मॉडल शॉप तथा भाँग को मिलाकर 02 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 02 अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा मृतक वारिस के रूप में नामांतरित थीं, तब उनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या 02 से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है, तो वह अवशेष दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। अनुज्ञापी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि 03 बैंक कार्यदिवसों के अंदर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) ई-लॉटरी प्रक्रिया में किसी दुकान के लिये किसी आवेदक द्वारा 01(एक) ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन पर पृथक-पृथक प्रासेसिंग फीस देय होगी। एक दुकान हेतु 01 से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाये जाने पर 01 से अधिक समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुये इनकी प्रासेसिंग फीस समपहृत कर ली जायेगी।

(3) ईज़ आफ इडिंग बिजिनेस की दृष्टि से ई-लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि का प्रावधान वर्ष 2025-26 में समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय वर्ष 2026-27 में यथावत् लागू रहेगा।

(4) आवेदकों के पैन का अधिप्रमाणन ई-लॉटरी पोर्टल पर किया जायेगा।

(5) (क) ई-लॉटरी से व्यवस्थित होने वाली दुकान की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 10 बैंक कार्य दिवस के अंदर, 30 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 25 बैंक कार्य दिवस के अंदर एवं अवशेष 20 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 35 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। इस समय सारिणी से विचलन की स्थिति की दशा में ₹2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। प्रतिभूति की समस्त धनराशि निर्धारित रीति से उक्त समय सारिणी के अंतर्गत एकमुश्त जमा किया जाना भी अनुमन्य होगा। राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी। विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व की भाँति सावधि जमा रसीद लिये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। नवीनीकृत अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी

गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप में जमा हुई हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) ई-लॉटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। ई-लॉटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लॉटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2025-26 की व्यवस्था को यथावत् रखा जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्वहित में दैनिक व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्राप्त एकल ऑफर भी स्वीकार किये जायेंगे। यह ऑफर कम से कम निर्धारित देयताओं के समतुल्य होना चाहिए। यदि लगातार 2 बार ऑफर मांगने की प्रक्रिया में भी निर्धारित देयताओं के समतुल्य ऑफर प्राप्त नहीं होता है, तब तीसरे चरण में राजस्वहित में निर्धारित देयताओं से कम के ऑफर भी स्वीकार किये जाने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को प्रदान किया जाता है। किसी भी स्थिति में निर्धारित देयताओं के 80 प्रतिशत से कम पर ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(घ) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन

दुकानों का मध्य सत्र में यथावश्यकता पुनर्व्यवस्थापन वर्ष 2026-27 में ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया से ही कराया जायेगा। पुनर्व्यवस्थापन हेतु समस्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों में सन्निहित समस्त दुकानों की ई-लॉटरी हेतु यथावश्यकता प्रत्येक माह में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-सारिणी जारी की जायेगी।

(ङ) प्रतिभूति की धनराशि को जमा किये जाने की प्रक्रिया

वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति की धनराशि को प्रस्तर 1.11.3(5)(क) में प्रावधानित व्यवस्थानुसार ई-बैंक गारण्टी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड के संबंध में पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। नवीनीकरण कराने वाले समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(च) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण

(1) वर्ष 2026-27 में मदिरा/भाग की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा कम्पोजिट दुकान और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिए दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। ई-लॉटरी की तिथि से न्यूनतम 3 माह तक की वैधता अवधि वाले हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पूर्व नवीन और संबंधित वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है, तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकृत होने वाली समस्त फुटकर दुकानों के संबंध में वर्ष 2025-26 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र, जिसकी वैधता समाप्त न हो, तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.12 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति

1.12.1 वर्ष 2025-26 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2026-27 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया जाता है।

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2026-27 हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा :-

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संबंधित थोक अनुज्ञापन की नवीन स्वीकृति हेतु आवश्यक अर्हताएं पूर्ण हों।

(2) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(3) वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(4) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2025-26 में न पायी गयी हो।

(5) अनुज्ञापी को इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, भी देना होगा कि वह वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित समस्त देयताएं देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिए आवश्यक सभी अर्हताएं रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका

नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2025-26 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

1.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बॉण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की धनराशि 03 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं माध्यम से अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 बैंक कार्य दिवस तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। अर्थदण्ड सहित मात्र 15 बैंक कार्य दिवस की अवधि धनराशि के अंतर की धनराशि जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

1.12.3 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस

2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹1,50,000/- (रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।

1.12.4 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस ₹1,50,000/- (रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

1.12.5 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

(क) वर्ष 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

परन्तु यह कि वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के पक्ष में भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसी प्रकार सी.एल.-2 अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. उत्पादक आसवनियों के पक्ष में भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। सी.एल.बी-2, एफ.एल.-3ए अनुज्ञापियों के पक्ष में सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(ख) एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों पर वाइन की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी।

(ग) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एल.ए.बी. की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी।

गत वर्ष की भाँति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

1.12.6 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस, अतिरिक्त लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी की लाइसेंस फीस निम्नानुसार ली जायेगी:-

(क) नवीन स्वीकृति अथवा नवीनीकरण होने पर नियत लाइसेंस फीस निम्नांकित दर से ली जायेगी-

1. सी.एल.-2 हेतु ₹2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए।

2. एफ.एल.-2 हेतु ₹ 2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए।

3. एफ.एल.-2बी हेतु ₹ 2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए।

(ख) सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी द्वारा निम्नानुसार दर से मांग पत्र प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करना अनिवार्य होगा-

1. सी.एल.-2 हेतु मांग पत्र में सन्निहित 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा अथवा इसके समतुल्य देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. पर ₹0.95/- प्रति बल्क लीटर की दर से।

2. एफ.एल.-2 हेतु मांग पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.40 प्रतिशत की दर से।

3. एफ.एल.-2बी हेतु मांग पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.50 प्रतिशत की दर से।

से।



उपरोक्त उपप्रस्तर-(ख) के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु आन लाइन व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जायेगी। मांग पत्र में अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा किये गये होने का विवरण भी वर्णित होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मांग पत्रों के सापेक्ष जमा की गयी अतिरिक्त लाइसेंस फीस में प्रस्तर-1.12.6(1)(क) में उल्लिखित नियत लाइसेंस फीस का समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि ₹5.0 लाख निर्धारित की जाती है। परन्तु आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में, चूँकि पूर्व से ही एक भारी धनराशि विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित होती है, प्रतिभूति धनराशि ₹1.0 लाख निर्धारित की जाती है।

(घ) सी.एल.-2 अनुज्ञापन हेतु ₹50 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों हेतु ₹60 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। नवीनीकरण के मामलों में पूर्व में अधिक मूल्य के प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध हों, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नवीन हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(2) आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का आसवनियों/यवासवनियों के निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होना अनिवार्य होगा।

(3) आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(4) आसवनी/यवासवनी के प्रकरणों को छोड़कर अन्य आवेदकों (फर्म/व्यक्ति) को विगत कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति का अंतर आबकारी आयुक्त को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। नवीनीकृत अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापनी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप में जमा हुई हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष परिस्थितियों में राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ई-बैंक गारण्टी के स्थान पर पूर्व की भाँति सावधि जमा रसीद भी जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

1.12.7 सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2 बी अनुज्ञापनों से अन्य जनपदों को आपूर्ति

किसी जिले की विशेष परिस्थितियों के कारण यदि फुटकर दुकानों को देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/एल.ए.बी. की आपूर्ति सीमावर्ती किसी जनपद के सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2 बी से कराये जाने की अपरिहार्यता उत्पन्न होती है, तो आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में आपूर्तिक जनपद के संबंधित समस्त थोक अनुज्ञापन/अनुज्ञापनों को पोर्टल पर तदनुसार सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

1.13 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन तथा एम.आर.पी. अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं:-

1.13.1(क) ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2025-26 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में यथावत् रखा जाता है तथा वर्ष 2026-27 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) यदि किसी मदिरा ब्राण्ड के लेबिल/एम.आर.पी. के अनुमोदन के दौरान अथवा बाद में आबकारी विभाग को यह प्रतीत होता है कि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है अथवा उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो लेबिल/एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग) यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के 1200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 1500 नग (प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुए) तक ही बिक्री करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ब्राण्ड पंजीकरण की फीस विदेशी मदिरा हेतु ₹30,000/- और बीयर हेतु ₹15,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। यह व्यवस्था प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धांत के तहत अधिकतम 02 आयातक इकाइयों को ही अनुमन्य होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस प्रस्तर-1.13.2 की तालिका के अनुसार ली जायेगी। इस श्रेणी में वर्ष 2025-26 में पंजीकृत ब्राण्डों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

चूँकि एक ही समय पर इस श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी दोनों में एक ही ब्राण्ड का पंजीकरण विधिक दृष्टि से उचित नहीं है; अतः यदि कालांतर में उक्त श्रेणी के किसी पंजीकृत ब्राण्ड का सामान्य श्रेणी में पंजीकरण किसी अन्य इकाई द्वारा कराया जाता है, तो पूर्व में इस श्रेणी में पंजीकृत ब्राण्ड का सामान्य पंजीकरण शुल्क एवं इस श्रेणी के पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा। इस श्रेणी में पंजीकृत किसी ब्राण्ड का पंजीकरण इकाई के अनुरोध पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा और इस स्थिति में सामान्य पंजीकरण शुल्क एवं इस श्रेणी के पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा।

(घ) पैरामिलिट्री को आपूर्ति हेतु मदिरा के लेबिलों पर, सी.एस.डी. आपूर्ति के लेबिलों पर अपेक्षित लीजेण्ड में, यथास्थान पैरामिलिट्री शब्द अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) लेबिलों की संख्या के संबंध में पृथक से आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे तथा इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(च) सी.एस.डी. अथवा पैरामिलिट्री को मदिरा की आपूर्ति के मामलों में इन संस्थाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित धारिताओं में ब्राण्ड पंजीकरण/लेबिल अनुमोदित किये जा सकेंगे तथा तदनुसार प्रतिफल शुल्क का निर्धारण भी किया जायेगा। इस हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण संबंधित विभाग से आबकारी आयुक्त द्वारा कराया जायेगा।

(ख) वर्ष 2025-26 में किसी पंजीकृत ब्राण्ड के लेबिल में यदि कोई परिवर्तन न होने का शपथ-पत्र आपूर्तिक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे ब्राण्ड-लेबिल के स्वतः ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

1.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन फीस

(1) वर्ष 2026-27 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड पंजीकरण फीस (रुपये में)	लेबल अनुमोदन फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	1,00,000	1,00,000
2.	भारत निर्मित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	1,25,000
	ख(1)	यू.पी. निर्मित बीयर (ख(2) को छोड़कर तथा यू.पी. के बाहर निर्मित बीयर)	75,000
	ख(2)	यू.पी. निर्मित बीयर (500 पेटी तक)	15,000
	ग(1)	वाइन (यू.पी.निर्मित)	1,100
	ग(2)	वाइन (यू.पी.निर्मित को छोड़कर)	10,000
	ग(3)	फोर्टिफाइड वाइन	20,000
	घ	एल.ए.बी.	20,000
3.	अन्य देशों से आयातित मदिरा		
	क	विदेशी मदिरा	1,00,000
	ख	बीयर	50,000
	ग	वाइन	10,000
	घ	फोर्टिफाइड वाइन	20,000
	ङ	एल.ए.बी.	20,000

नोट:- 1. ब्राण्ड एवं लेबल के पंजीकरण/अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

2. 2ख(2) के प्रकरणों में 4क(1) एवं ख(2) में प्रस्तर-1.13.1(ग) में उल्लिखित शपथ पत्र तथा अन्य प्राविधान भी लागू होंगे।

3. 2ख(2) के अंतर्गत पंजीकृत ब्राण्ड का परिवर्तन 2ख(1) श्रेणी में कराये जाने पर ब्राण्ड पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा।

4. सी.एस.डी. एवं पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले लेबिलों की अनुमोदन फीस सिविल आपूर्ति हेतु निर्धारित फीस का 60 प्रतिशत होगी।

(2) वर्ष 2025-26 में पंजीकृत ब्राण्डों के नवीनीकरण एवं एम.आर.पी. के अनुमोदन माह 31 मई, 2026 तक ही सामान्यतः कराये जा सकेंगे। दिनांक 01 जून, 2026 से 30 जून, 2026 तक नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति में 1.5 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। दिनांक 01

जुलाई, 2026 के पश्चात 02 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। ऐसे ब्राण्ड जिनका नवीनीकरण उक्त व्यवस्था के अनुसार नहीं कराया गया होगा, उनका नये ब्राण्ड के रूप में पंजीकरण वर्ष 2026-27 में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सी.एस.डी. अथवा पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु ब्राण्ड पंजीकरण तभी अनुमन्य होंगे जब इन ब्राण्डों का पंजीकरण और एम.आर.पी. का अनुमोदन सिविल आपूर्ति के लिए करा लिया गया हो।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. के ब्राण्डों के वैरिएंट की एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र शासित राज्य के नियंत्रणाधीन किसी सक्षम संस्था द्वारा अथवा किसी आयातक देश द्वारा अपने नियमों के अधीन किसी पंजीकृत लेबिल में कोई परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया जाता है, तब उत्पादक द्वारा उक्त के अनुपालन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित लेबिल की अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी।

1.13.3 एम.आर.पी. अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं

प्रदेश की सिविल/सी.एस.डी. आपूर्ति हेतु बोटलबंद समस्त प्रकार की मदिरा के एम.आर.पी. अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में 2026-27 हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं :-

(1) वर्ष 2026-27 हेतु कांच और पेट बोटलों एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में भारत निर्मित विदेशी मदिरा अनुमन्य होगी। ईकोनामी श्रेणी के 180 एम.एल. धारिता की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति एसेप्टिक ब्रिक पैक में किया जाना अनिवार्य होगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति तभी अनुमन्य की जायेगी, जब संबंधित ब्राण्ड की आपूर्ति करने के लिए एल्युमीनियम कैन की अनुमन्यता/ उपयुक्तता तथा इसमें आपूर्ति करने हेतु अधिकतम शेल्फ लाइफ के संबंध में सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। एल्युमीनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के प्रकरणों में शेल्फ लाइफ 09 माह अथवा सी.एफ.टी.आर.आई. द्वारा संस्तुत शेल्फ लाइफ में से जो कम हो, अनुमन्य की जायेगी एवं संबंधित उत्पादक द्वारा लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी।

(2) वर्ष 2026-27 हेतु कांच की बोटलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में वाइन और एल.ए.बी./आर.टी.डी. की आपूर्ति अनुमन्य होगी। कैन में आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि शेल्फ लाइफ अधिकतम 9 माह तक अनुमन्य होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी। वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति वाइन और एल.ए.बी./आर.टी.डी. की बिक्री कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार में अनुमन्य होगी।

(3) वर्ष 2026-27 में बीयर की आपूर्ति कांच की बोटलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में अनुमन्य होगी। केग में बीयर (माइक्रोब्रिवरी से उत्पादित बीयर को छोड़कर) की आपूर्ति हेतु 5 लीटर के गुणक में 50 लीटर तक की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से

प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर 500 एम.एल. केन के सापेक्ष प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

(4) बी.आई.ओ.-1/1ए/1बी द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप को किये जाने की स्थिति में एम.आर.पी. निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा। बार को सीधे बिक्री के प्रकरणों में थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(5) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/ एल.ए.बी./वाइन/बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक /यवासवनी/द्राक्षासवनी इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. कॉस्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखण्ड (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. वर्ष 2026-27 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी. एवं इकाई द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी.का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत इकाई द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम ई.डी.पी./ ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी./ ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी.के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा, ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी.में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए./गेन ई.एन.ए. पर वेंट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि में भिन्नता है। अतः ई.डी.पी./ ई.डब्लू.पी./ ई.बी.पी./ ई.सी.बी.वी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी

उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रुपये एक लाख तक का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) ट्रेक ऐण्ड ट्रेस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु ट्रेक ऐण्ड ट्रेस फीस ₹0.35/- एवं निर्धारित स्पेशल फीस प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. में सम्मिलित होंगी।

(7) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/ एल.ए.बी./वाइन/बीयर के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड आफ करते हुये, 10 के अगले गुणांक पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

(8) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/एल.ए.बी./वाइन/बीयर की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में ₹0.15/- प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(9) आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

(10) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी. के ब्राण्डों हेतु घोषित सी.आई.एफ., मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। यदि विगत 3 माह का औसत प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न हों तब विगत 12 माह के औसत के आधार पर सी.आई.एफ. मूल्य घोषित किया जायेगा, परन्तु इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की राजस्व हानि न हो।

(11) वर्ष 2026-27 में सी.आई.एफ. (कास्ट इंश्योरेंस फ्रेट) और मार्जिन दोनों का भी परीक्षण किया जायेगा।

(12) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा।

(13) समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों के विभिन्न वैरियेंट्स उनके मेच्योरेशन अवधि के आधार पर मान्य होंगे।

(14) यदि किसी नये ब्राण्ड-लेबिल के पंजीकरण/अनुमोदन की तिथि से एम.आर.पी. अनुमोदन हेतु 03 माह तक ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ब्राण्ड-लेबिल का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

1.14 विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण:-

विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की व्यवस्था वर्ष 2026-27 में निम्नानुसार दरों के साथ रखी जाती है:-

विदेशी मदिरा

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इकोनॉमी	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-

		500 एम.एल. या उससे अधिक	40/-
2	मीडियम	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	40/-
3	रेगुलर	90 एम.एल. तक	10/-
		90 एम.एल. से अधिक परन्तु 180 एम.एल. तक	30/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	40/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	60/-
4	प्रीमियम	90 एम.एल. तक	10/-
		90 एम.एल. से अधिक परन्तु 180 एम.एल. तक	30/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	40/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	70/-
5	सुपर प्रीमियम	90 एम.एल. तक	20/-
		90 एम.एल. से अधिक परन्तु 180 एम.एल. तक	40/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	70/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	120/-
6	स्कॉच	90 एम.एल. तक	40/-
		90 एम.एल. से अधिक परन्तु 180 एम.एल. तक	60/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	120/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	180/-
7	समुद्रपार आयातित	90 एम.एल. तक	50/-
		90 एम.एल. से अधिक परन्तु 200 एम.एल. तक	80/-
		200 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	160/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	230/-

बीयर

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/माइल्ड	500 एम.एल. तक	10/-
		650 एम.एल.	20/-
		5 लीटर केग	100/-
		10 लीटर केग	200/-
		15 लीटर केग	300/-

		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्रपार आयातित	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से 1000 एम.एल. तक	20/-
		5 लीटर केग	100/-
		10 लीटर केग	200/-
		15 लीटर केग	300/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-

वाइन/एल.ए.बी.(भारत निर्मित एवं समुद्र पार आयातित)

क्र.सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाइन	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
2	एल.ए.बी.	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

1.15 अन्य:-

1.15.1(1) देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम मॉडल शॉप्स, भांग एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समय:-

वर्ष 2026-27 में देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम मॉडल शॉप्स, शापिंग/कामर्शियल काम्प्लेक्सों में स्वीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं भांग दुकानों की कार्यावधि प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी।

(क) मॉल में संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड की कार्यावधि वही होगी, जो मॉल की संचालन अवधि होगी।

(ख) प्रदेश के एअरपोर्ट्स के परिसर के मुख्य भवन के अंदर संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स अनुज्ञापनों की संचालन अवधि वही होगी, जो एअरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

(2) वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹1,00,000/- तथा एफ.एल.-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹50,000/- निर्धारित किया जाता है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जायेगा।

(3) प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अन्य देय नियमानुसार जमा कराये जायेंगे।

(4) आसवनियों द्वारा सी-हैवी शीरे/बी-हैवी शीरे/केन जूस/केन सीरप आदि से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति के लिये ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु ₹6,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(5) एथेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज को एथेनाल की आपूर्ति के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु ₹7,500/- प्रासेसिंग फीस ली जायेगी।

(6) यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू.पी.एम.एल. की भराई हेतु बॉटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

(7) देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/ट्रेड पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से.मी.X1 से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फॉन्ट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जायेगी।

(8) (क) ई-लॉटरी पोर्टल पर मोबाइल नं., पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹3,000/- निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगी।

(ख) बाण्ड अनुज्ञापनों के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम परिवर्तन अथवा चौहद्दी परिवर्तन अथवा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों के साथ प्रासेसिंग फीस के रूप में ₹10,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों की चौहद्दी परिवर्तन/विक्रेता परिवर्तन के ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹5,000/- होगी।

(9) (क) बल्क स्पिरिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) विकृत स्पिरिट के देश के बाहर से आयात के प्रकरणों में अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹5,000/- होगी। इस हेतु अतिशीघ्र पोर्टल पर आवश्यक सुविधा विकसित की जायेगी।

(10) वैयक्तिक होम लाइसेंस के स्थानांतरण हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक जाँचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनके द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए और संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों की संस्तुति के सापेक्ष यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(11) (क) इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापनी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ पत्र भी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकेगा। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नामिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा;

अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र एवं सहमति शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नामिनेशन शपथ पत्र प्रस्तुत न होने एवं अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने की दशा में मात्र अर्ह एवं उपयुक्त विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही नामांतरण करने पर विचार किया जायेगा। निकट संबंधी का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा-2(41) में परिभाषित है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

(ख) ऐसे बार अनुज्ञापन एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन जो विधिक रूप से किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किये गये हों, के मामलों में भी इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ पत्र भी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकेगा। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नामिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा; अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र एवं सहमति शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नामिनेशन शपथ पत्र प्रस्तुत न होने एवं अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने की दशा में मात्र अर्ह एवं उपयुक्त विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही नामांतरण करने पर विचार किया जायेगा। निकट संबंधी का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा-2(41) में परिभाषित है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

(12) डिनेचुरेशन फीस की दर वित्तीय वर्ष 2026-27 में गतवर्ष की भाँति ₹0.60/- प्रति लीटर होगी।

(13) भुगतान वापसी के प्रकरणों में कोषवाणी की वेबसाइट में प्रदर्शित सूचना के आधार पर चालानों का विभाग द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त माना जायेगा। संबंधित कोषागार से चालानों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराये जाने की प्रक्रियागत अनिवार्यता नहीं होगी।

(14) अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु धनराशियों को जमा करने के पश्चात् यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु 1 अप्रैल के पूर्व हो जाती है और उसके किसी विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामनिर्देशिती द्वारा अनुज्ञापन के संचालन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी उत्तराधिकारी/नामनिर्देशिती को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नवीनीकरण हेतु जमा धनराशियों (प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक उत्तराधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।

(15) पूर्व वर्षों से नवीनीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड के प्रकरणों में नवीनीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंसी की मृत्यु हो जाने और उसके विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामनिर्देशिती द्वारा प्रार्थना पत्र न दिये जाने अथवा उन्हें अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दूसरे जीवित लाइसेंसी के पक्ष में वर्ष 2026-27 हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, निर्धारित तिथि तक जमा करने के प्रतिबंध के साथ दुकान का नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर वर्ष 2025-26 हेतु जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) पूर्व वर्षों से नवीनीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण दोनों ही लाइसेंसियों के मध्य नवीनीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति न होने की दशा में नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(17) डी.एस.-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि 10 प्रतिशत होगी। लाइसेंस फीस कोषागार शीर्षक 0039 में निर्धारित उपशीर्षक के अंतर्गत जमा की जायेगी।

(18) आयल मिक्सिंग डिपो के मामलों में ली जाने वाली लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति ₹ 0.50/- प्रति लीटर यथावत् होगी।

(19) आसवनी के एथनाल एवं ई.एन.ए. उत्पादन के अनुपात का विनिश्चय आसवनी हेतु गठित समिति के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग के स्तर से किया जायेगा।

(20) प्रदेश में स्थापित आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों की प्रतिभूति केवल ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व की भाँति सावधि जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति जमा करने की अनुमति दिये जाने का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

(21) मदिरा और भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2025-26 की चौहद्दी परिवर्तन किये बिना यदि उनके नाम परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है, तो इस स्थिति में जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान के नाम को परिवर्तित किया जा सकेगा। दुकानों की अवस्थिति (जिसमें नाम परिवर्तन हो) में परिवर्तन अथवा स्थानांतरण की प्रक्रिया संगत नियमों के अनुसार संपादित की जायेगी।

(22) (क) यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता इकाई द्वारा ₹ 2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा बी-20 की वैधता अवधि में भूमि, प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। उक्त विस्तारित अवधि में भी यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, और बी-20 लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब बी-20 लाइसेंस की वैधता ₹ 2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जायेगी जब कुल व्यय का 70 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बी-20 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। यवासवनी की स्थापना के लिये स्वीकृत किये जाने वाले बी-20 लाइसेंस की प्रतिभूति ₹ 10 लाख निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 में यवासवनी के बी-1 की लाइसेंस फीस की दर ₹ 40/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है।



(23) (क) आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी.33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता, इकाई द्वारा ₹ 5,00,000 (रुपया पाँच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा पी.डी.-33 की वैधता अवधि में भूमि प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। उक्त विस्तारित अवधि में यदि इकाई द्वारा पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, और पी.डी.-33 लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब पी.डी.-33 लाइसेंस की वैधता ₹ 5,00,000 (रुपया पाँच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जायेगी जब कुल व्यय का 70 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि इकाई द्वारा पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो पी.डी.-33 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(ख) पी.डी.-33 अनुज्ञापन की प्रतिभूति धनराशि ₹10,00,000(दस लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2026-27 में पी.डी.-2 की लाइसेंस फीस की गतवर्ष की भाँति ₹35/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है।

(घ) पी.डी.-33 अनुज्ञापित इकाइयों (जिनके पास पी.डी.-2 अनुज्ञापन नहीं है) के अंतर्गत संचालित सी.एल.बी.-1/सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापन को आरक्षित शीरा आवंटित नहीं किये जाने का प्राविधान यथावत रहेगा।

(ङ) पी.डी.-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से आसवनी में शीरा आधारित ई.एन.ए. का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद होने अथवा आसवनी में शीरा आधारित प्लांट मशीनरी स्थापित न होने की स्थिति में आसवनी को आरक्षित शीरा आवंटित नहीं किये जाने का प्रावधान यथावत रहेगा।

(च) पी.डी.-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से आसवनी में अनाज आधारित ई.एन.ए. अथवा माल्ट स्प्रीट अथवा शीरा आधारित ई.एन.ए. का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति में अथवा पी.डी.-2 धारक बंद आसवनी के पुनर्संचालन किये जाने की तिथि से अधिकतम 2 वर्षों तक अथवा 31.03.2027 तक जो भी बाद में हो, ग्रेन ई.एन.ए./अनारक्षित शीरा आधारित ई.एन.ए. क्रय कर बोतल भराई की अनुमति दी जायेगी। तत्पश्चात भी अनाज आधारित ई.एन.ए./शीरा आधारित ई.एन.ए./माल्ट स्प्रीट का उत्पादन प्रारम्भ न करने पर आसवनी का एफ.एल.-3 अथवा/एवं सी.एल.बी.-1 लाइसेंस निलम्बित कर दिया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(छ) किसी विदेशी मदिरा निर्माण से संबंधित आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में मदिरा निर्माण की अनुमति आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि बल्क स्प्रीट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक प्रदेश में आपूर्ति हेतु

विदेशी मदिरा की बोतल में भराई के लिए क्रय/प्रयुक्त किये गये ई.एन.ए./अन्य कोई स्पिरिट पर बाटलिंग हेतु निर्धारित फीस की दोगुनी दर से बाटलिंग फीस देय होगी। आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 40 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्पिरिट क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा सामान्यतः वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी। उक्त सुविधा ऐसी आसवनियों को ही अनुमन्य होगी जिनपर अथवा जिनके स्वामी अथवा स्वामी कम्पनी/फर्म आदि की किसी अन्य इकाई/चीनी मिल पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान के बकाये के संबंध में अथवा आबकारी विभाग के बकाये के संबंध में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत एवं प्रभावी न हो।

(24) पी.डी.-2 अथवा बी-1 अनुज्ञापन प्राप्त इकाइयों में किसी अतिरिक्त प्लांट मशीनरी, बाटलिंग लाइन, टैंक आदि की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति में प्रदत्त वैधता अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। विचलन की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(25) (क) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु ₹500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) निर्धारित अवस्थिति में ही चौहद्दी परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ ₹1,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ग) दुकान की अवस्थिति स्थानांतरण के प्रकरणों में आवेदन पत्र के साथ ₹5,000 का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(26) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिश्चित अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है।

(27) त्रुटिपूर्ण कोषागार शीर्षक में जमा किये गये चालानों की धनराशि को सही शीर्षक में पोर्टल पर प्रविष्टि कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ ₹2,000/- का चालान प्रासेसिंग फीस के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(28) प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों को एफ.एल.-1 अनुज्ञापन स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं होगी; ऐसी द्राक्षासवनियों हेतु एफ.एल.-3 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹50,000/- एवं प्रतिभूति ₹25,000/- निर्धारित की जाती है।

(29) मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा बार अनुज्ञापनों को बी.आई.ओ.-1 अथवा बी.आई.ओ.-1ए से सीधे मदिरा क्रय किया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसी आपूर्ति के मामलों में बार अनुज्ञापनों को छोड़कर थोक अनुज्ञापन का मार्जिन राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। बार अनुज्ञापनों के मामले में थोक मार्जिन तथा फुटकर मार्जिन दोनों राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(30) प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर विक्रय हेतु अनुमन्य एसेसरीज़ में टानिक वाटर और काकटेल मिक्सर्स सम्मिलित होंगे, परन्तु ऐसे नान एल्कोहलिक पेय पदार्थ अनुमन्य नहीं होंगे, जिनके

ब्राण्ड के नाम, पैकिंग, लेबिल आदि किसी मदिरा ब्राण्ड से मिलते जुलते हों और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। मॉडल शॉप पर भी उक्त एसेसरीज़ की बिक्री अनुमन्य होगी।

(31) प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा।

(32) प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु प्रावधानित माल की परिभाषा में शॉपिंग/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित माने जायेंगे। यह प्रावधान प्रस्तर-1.5.2(5) में उल्लिखित एफ.एल.-4डी दुकानों पर लागू नहीं होगा।

(33) किसी मॉडल शॉप (एफ.एल.-4ए) एवं कम्पोजिट दुकान (एफ.एल.-5डीबी) से 200 मीटर की पथिक मार्ग से दूरी में कोई नवीन प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु पूर्व से स्वीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा। यह दूरी दोनो दुकानों के मुख्य द्वार के मध्य बिन्दु से पथिक मार्ग से मापी जायेगी। नगर निगम क्षेत्रों एवं गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में यह दूरी 100 मीटर ही होगी।

(34) आबकारी विभाग की समस्त फुटकर दुकानें, जिनके लाइसेंस प्राधिकारी जिला कलेक्टर प्राविधानित हैं, के अनुज्ञापनों पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किये जायेंगे।

(35) प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों हेतु परिसर का स्थानांतरण किया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु इस प्रकार नवीन परिसर हेतु अनुज्ञापन के निर्गमन का प्रकरण प्रस्तर-1.15.1(34) से आच्छादित होगा।

(36) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले ढक्कनों का टैम्परपूफ होना अनिवार्य किया जाता है।

(37) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर लगे 02 सी.सी.टी.वी. कैमरे, जिन्हें गतवर्ष लगाया जाना अनिवार्य किया गया था, को फुटकर दुकानों के स्वयं के खर्च पर इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे दुकान के अंदर और बाहर के दृश्य कैप्चर हो सकें। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर ₹2,000/- जुर्माना आरोपित किया जायेगा। सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना एवं संचालन में जानबूझ कर की गयी लापरवाही पाये जाने की दशा में अनुज्ञापि के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(38) राजस्व हित में थोक विक्रेता के मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन आगणन हेतु निर्धारित एक्सेल फाइल में इस प्रकार के लॉजिक का उपयोग किया जायेगा, जिससे किसी प्रकार के राजस्व क्षति की सम्भावना न हो।

(39) आसवनी स्थापना हेतु प्रपत्र पी.डी.-32 में आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा ओ.ई.एम. (Original Equipment Manufacturer) से स्थापित कराये जाने वाले उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर दैनिक आधार पर उत्पादित होने वाले अल्कोहल (किलोलीटर में) की अधिकतम क्षमता की घोषणा, शपथ पत्र के माध्यम से करनी होगी। इस प्रकार घोषित दैनिक अधिकतम उत्पादन क्षमता आसवनी की स्थापना के समय स्थापित किये जा रहे उपकरणों में तकनीकी उन्नयन अथवा उत्पादन तकनीक में उन्नयन के अलावा अपरिवर्तनीय होगी एवं उपरोक्तानुसार अधिकतम दैनिक उत्पादन क्षमता व संचालन दिवसों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत अधिष्ठापित क्षमता निर्धारित करते हुये इस पर अनुज्ञापन



शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता विस्तार हेतु लगाये जाने वाले नये उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी उपरोक्तानुसार किया जाना अनुमन्य होगा। तकनीकी निरीक्षण के समय यदि ओ.ई.एम. तथा आसवक द्वारा मशीनरी की क्षमता के बारे में की गयी घोषणा से संबंधित शपथ पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है तो आसवक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं ओ.ई.एम. के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। पूर्व से स्थापित आसवनियों के लिए भी अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारण उपरोक्तानुसार ही करते हुए अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा परन्तु यह सुविधा मात्र एक बार ही प्रदान की जायेगी तथा अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी/नवीन प्लांट के संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा। ऐसे आवेदनों के परीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रतिष्ठापरक तकनीकी संस्थान के सदस्य भी रखे जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आबकारी मैनुअल खण्ड-5 (तकनीकी मैनुअल) के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। किसी भी आसवनी की पूर्व निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता में किसी भी परिस्थिति में कमी किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(40) वैध पी.डी.-2 अनुज्ञापन रखने वाली इकाइयों को प्लांट मशीनरी के विस्तार हेतु प्रदत्त अनुमतियों (पूर्व में प्रदत्त अनुमतियों को सम्मिलित करते हुये) के क्रम में बढ़ी हुयी पेय क्षमता के सापेक्ष किये जाने वाले आरक्षित शीरे के आवंटन की नियमानुसार निर्धारित अवधि में शीरा आधारित प्लांट मशीनरी लगाये जाने की प्रगति की समीक्षा की जायेगी और यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि आसवनी शीरा आधारित अतिरिक्त प्लांट मशीनरी की स्थापना किये जाने एवं उक्त अतिरिक्त प्लांट से शीरा आधारित ई.एन.ए. का उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के प्रति उदासीन है तब निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व भी आसवनी को अतिरिक्त आरक्षित शीरे का आवंटन रोका जा सकेगा।

(41) खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 (यथासंशोधित) के अंतर्गत परिभाषित एवं समय समय पर संशोधित विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेयों हेतु दी गयी परिभाषाओं एवं मानकों (Alcoholic strengths) को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के प्रयोजनार्थ यथावत् अंगीकृत किया जायेगा।

(42) द्राक्षासवनी की स्थापना हेतु निर्गत वी-1 लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर द्राक्षासवनी की स्थापना करना अनिवार्य होगा। वी-1 लाइसेंसधारक लाइसेंस की समाप्ति से एक माह पूर्व वी-1 लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा। वी-1 लाइसेंस की वैधता दो बार से अधिक बार नहीं बढ़ायी जायेगी, अर्थात् वी-1 लाइसेंस की वैधता अधिकतम 03 वर्ष ही हो सकेगी। इस अवधि के उपरांत यह लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(43) फुटकर दुकानों पर पकड़ी गयी तनुकृत/अपमिश्रित मदिरा की बोतलों पर देय प्रतिफल शुल्क की 10 गुनी धनराशि भी पूर्व से प्रावधानित कार्रवाइयों के अतिरिक्त अनुज्ञापि से वसूल की जायेगी।

(44) एफ.एल.-39/40/41 अनुज्ञापनों को विशेष विकृत आसव की निकासी की प्रविष्टि हेतु निर्गत की जाने वाली पास बुक का शुल्क ₹ 500/- निर्धारित किया जाता है।

(45) आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर, अर्थात् आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी, बाण्ड अनुज्ञापन, बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन और समस्त प्रकार के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन आदि,

पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के विरुद्ध क्रेता को अनियमित रूप से डिस्काउंट या अन्य प्रकार का आर्थिक प्रलोभन दिये जाने के कृत्य को अत्यंत गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसे प्रकरणों को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञापन के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(46) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली शीरा आधारित आसवनी इकाइयों को, सी.एल.बी.-1 लाइसेंस के अंतर्गत ग्रेन ई.एन.ए. क्रय कर यू.पी.एम.एल. की भराई करना तभी अनुमन्य होगा जब इकाई द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय कि वह पी.डी.-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को छोड़कर) अर्थात् अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष में अनाज आधारित ई.एन.ए. उत्पादन हेतु आवश्यक प्लांट मशीनरी भी स्थापित करेगी। विनिर्दिष्ट वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुये) में आसवनी स्थापित करने में विफल रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(47) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली अनाज आधारित आसवनी इकाइयों को, स्वीकृत किये जाने वाले सी.एल.बी.-1/सी.एल.बी.-2/एफ.एल.-3/एफ.एल.-3ए लाइसेंसों की वैधता, पी.डी.-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि(विस्तारित अवधि को छोड़कर) अर्थात् अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष तक ही होगी। आसवनी स्थापना के उपरांत संचालन प्रारम्भ होने तक एफ.एल.-3/3ए और सी.एल.बी.-1/2 अनुज्ञापन निलम्बित रहेंगे। विनिर्दिष्ट वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुये) में आसवनी स्थापित करने में विफल रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(48) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली डुअल मोड आसवनी इकाइयों को सी.एल.बी.-1/एफ.एल.-3 के अंतर्गत ग्रेन ई.एन.ए./अनारक्षित शीरे से निर्मित ई.एन.ए. क्रय कर देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. /विदेशी मदिरा की भराई करना, पी.डी.-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि(विस्तारित अवधि को छोड़कर) अर्थात् अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष तक ही अनुमन्य होगा। विनिर्दिष्ट वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुये)में आसवनी स्थापित करने में विफल रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(49) प्रदेश में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के निर्माणार्थ प्रयुक्त शीरा आधारित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. के विक्रय पर ₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा निर्माणार्थ प्रयुक्त शीरा आधारित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. के विक्रय पर ₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर की दर से विशेष परमिट फीस देय है। उक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त दरों से विशेष परमिट फीस शीरा आधारित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. के केवल प्रथम विक्रय पर ही आरोपित होगी। यदि कोई पी.डी.-2 लाइसेंसधारी आसवनी द्वारा अन्य आसवनी से क्रय किये गये शीरा आधारित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. का अपनी आसवनी में संचालित सी.एल.बी.-2/एफ.एल.-3ए को लाभ अर्जित करते हुये, विक्रय किया जाता है तब उपर्युक्त दरों से विशेष परमिट फीस पुनः देय होगी।

1.15.2 अवशेष स्टॉक का निस्तारण (स्टॉक रोल ओवर)

वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर जिलों के विभिन्न जिला स्तरीय थोक, फुटकर एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकनों और बार अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2026 को बिक्री अवधि के पश्चात् अवशेष स्टॉक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक ₹100/-



के नॉनजुडीशियल नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टॉक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2026 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। घोषित अवशेष स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टॉक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेट्टी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टॉक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा, जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टॉक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2026 को उपर्युक्त अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात् इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टॉक के निस्तारण के संबंध में सक्षम मा. न्यायालयों के आदेशों के अधीन निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगी :-

1.15.2.1 देशी मदिरा

(क) देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2026 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टॉक को दिनांक 05.04.2026 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात् अवशेष स्टॉक को जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए नष्ट कर दिया जायेगा। ऐसे अवशेष स्टॉक को माह अप्रैल, 2026 के एम.जी.क्यू. में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(ख) देशी मदिरा की अनवीनीकृत फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक का निस्तारण संगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

1.15.2.2 वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा के नवीनीकृत/अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2, पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टॉक की वर्ष 2026-27 में निकासी अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे स्टॉक को जिला के किसी अन्य व्यवस्थित थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुए इसकी नीलामी वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के अनुसार की जायेगी।

1.15.2.3 देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के 2025-26 के अवशेष स्टॉक का पुनरासवन किये जाने का विकल्प आसवनी को प्रदत्त होगा।

1.15.2.4 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.

1. (क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, बार, क्लब आदि एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों और बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं एफ.एल.-1/एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1/1ए अनुज्ञापनों, जिनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार/क्लब बार कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों, बॉण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल.-1/एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1/1ए अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण हुआ है, पर वर्ष 2024-25 के पूर्व निर्मित समस्त उपलब्ध अवशेष स्टॉक को उप आबकारी आयुक्त

प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। इस हेतु संबंधित अनुज्ञापी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

2. उक्त के अतिरिक्त 2026-27 हेतु नवीनीकृत कम्पोजिट दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप, जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों सहित बार/क्लब बार अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) वर्ष 2025-26 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2026-27 हेतु होगा और उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2026-27 में कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर दिनांक 31.03.2027 तक विक्रय किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2026-27 हेतु करा लिया जाता है और उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर दिनांक 31.03.2027 तक विक्रय किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2026-27 हेतु नहीं कराया जाता है और उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2025-26 के लिये घोषित ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.सी.बी.वी./ ई.डब्ल्यू.पी. पर वर्ष 2026-27 के सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टॉक का निस्तारण दिनांक 31.03.2027 तक निम्नवत् किया जायेगा:-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है, तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2025-26 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम.आर.पी. में वृद्धि करके उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(v) यदि उक्त उप प्रस्तर-(3) से संबंधित ब्राण्ड कालांतर में पंजीकृत हो जाते हैं एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन करा लिया जाता है तब इस प्रकार अनुमोदित नवीन एम.आर.पी., और उप प्रस्तर-(3)(i), (3)(ii), (3)(iii) एवं (3)(iv) से आच्छादित एवं आगणित एम.आर.पी. से यदि अधिक हो, तब एम.आर.पी. के अंतर की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुये नवीन एम.आर.पी. पर विक्रय की अनुमति दिनांक 31.03.2027 तक होगी।



(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को सम्मिलित किया जायेगा।

(5) जिलास्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर ऐसा स्टाक जो वर्ष 2024-25 में उत्पादित था एवं जिनका रोल-ओवर वर्ष 2025-26 हेतु हुआ होगा, का वर्ष 2026-27 हेतु रोल-ओवर अनुमन्य होगा।

1.15.3 (क) विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए और बाण्ड अनुज्ञापनों सहित बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक का निस्तारण इसका ब्राण्ड-लेबिल पंजीकरण करा लिये जाने और एम.आर.पी. का अनुमोदन करा लिये जाने के पश्चात ही उपर्युक्तानुसार किया जायेगा।

(ख) एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों पर भी प्रस्तर-1.15.2.2 के प्रावधान लागू होंगे।

1.15.4 अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

1.16 ईज आफ ड्रिंग बिजनेस

(1) (क) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बॉण्ड अनुज्ञापनों/ एफ.एल.-1/1ए/ को आबकारी नीति 2026-27 की घोषणा की तिथि से दिनांक 31.07.2026 तक की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर ₹1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन/नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(ग) ₹3,000/- से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को दिये जायेंगे जिनके पास संबंधित उत्पादकों के प्राधिकार पत्र होंगे। बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए लाइसेंस की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए की लाइसेंस फीस की 60 प्रतिशत के बराबर होगी। उक्त अनुज्ञापन में सभी वैरियेंट्स सहित अधिकतम कुल 10 ब्राण्डों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

(घ) यदि बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन करने वाली किसी कम्पनी अथवा फर्म में प्रबंध निदेशक, निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कोई चिकित्सक सम्मिलित है तब वह आवेदक कम्पनी अथवा फर्म बार अनुज्ञापन हेतु अनर्ह नहीं होगी।

(ङ) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों हेतु अस्थाई रूप से प्रत्येक 02 माह हेतु अतिरिक्त परिसर की स्वीकृति ₹ 10,000/- के शुल्क के साथ अनुमन्य होगी जिसकी स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात प्रदान की जायेगी। इस सुविधा हेतु फुटकर अनुज्ञापनों को प्रत्येक 02 माह हेतु ₹ 2,000/- देना होगा जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(च) रात्रि में और अपने परिवहन पास की वैधता अवधि में जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर पहुँच गये पारेषणों को हर प्रकार से ठीक पाये जाने की दशा में संबंधित परिवहन पासों की वैधता बढ़ाये जाने का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी को होगा। इस हेतु पोर्टल पर आवश्यक

सुधार किये जायेंगे। परन्तु यह वैधता उस दिवस को 12:00 बजे मध्यान्ह तक ही बढ़ायी जायेगी।

(छ) एक ही स्वामित्व वाले दो अथवा दो से अधिक लाइसेंसों (जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों एवं बी.आई.ओ.-1/1ए/1बी को छोड़कर) के परिसर यदि 5 कि.मी. की परिधि में संचालित हों तब इनसे निर्गत पारेषणों को किसी एक वाहन से किसी एक पारेषिती को भेजे जाने की अनुमति संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(2) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण

वर्ष 2026-27 में कम्पोजिट दुकानों और मॉडल शॉप दुकानों के मध्य प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण गतवर्ष की भाँति अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा अपने न्यूनतम निर्धारित यथास्थिति मासिक/त्रैमासिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक एवं मॉडल शॉप द्वारा भी अपने न्यूनतम निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के 30 प्रतिशत तक का अंतरण किया जाना अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा किये जा रहे अंतरण के आवेदन पत्र में अंतरण की प्रकृति यथा एम.जी.आर.(एफ.एल.) अथवा एम.जी.आर.(बीयर) का उल्लेख होगा और इस अंतरण को प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा तदनुसार ही विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जायेगा। परन्तु अंतरण प्राप्त करने वाली मॉडल शॉप द्वारा अपनी सुविधानुसार बीयर अथवा विदेशी मदिरा का उठान किया जा सकेगा। दो मॉडल शॉप में परस्पर होने वाले अंतरण की पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अनुमन्य सीमा तक ही अंतरण अनुमन्य होगा परन्तु अंतरण प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मॉडल शॉप से अंतरण प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा अपनी सुविधानुसार विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जा सकेगा।

देशी मदिरा दुकानों के मध्य एम.जी.क्यू. का अंतरण 30 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा परन्तु सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापनों से/को एम.जी.आर. (सी.एल.-बीयर) का अंतरण अनुमन्य नहीं होगा।

(3) (क) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित सुपर प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य ₹2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन (एक बोतल) को ही एक सील्ड पेट्टी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेट्टियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की जाती है।

(ख) वाइन की 750 एम.एल. की बोतल, जिसकी एम.आर.पी. ₹500 से अधिक हो, को भी सील्ड पेट्टी अवधारित करते हुये इस पर क्यू.आर.कोड एवं बार-कोड चस्पा करते हुये निकासी किया जाना अनुमन्य होगा।

(4) बाँण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों आदि से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(5) वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2025-26 हेतु आपूर्ति एवं 2026-27 से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(6) पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा/भांग दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जायेगा अथवा उसे सील नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित परिसर का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(7) विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाना और स्वउत्पादित ब्राण्ड की टेस्टिंग कराया जाना अनुमन्य होगा। इस हेतु ₹50,000/- आसवनी से तथा ₹25,000/- यवासवनियों से शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों में केवल अपने उत्पाद की पर्यटकों को फुटकर बिक्री हेतु फुटकर दुकान संगत नियमावली के अंतर्गत ₹50,000/- की लाइसेंस फीस के साथ अनुमन्य है। यवासवनियों में ₹75,000/- लाइसेंस फीस पर केवल अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री हेतु एक फुटकर दुकान का संचालन अपने परिसर के अंदर किया जाना अनुमन्य होगा। द्राक्षासवनी तथा यवासवनी में स्थापित इस फुटकर दुकान से स्वउत्पादित मदिरा की बिक्री एम.आर.पी. पर होगी किन्तु देय प्रतिफल शुल्क एवं अन्य शुल्कों के साथ थोक विक्रेता का मार्जिन भी राजकोष में जमा करना होगा। इन दुकानों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा।

(8) आसवनियों के आगामी आबकारी वर्ष के निमित्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या इससे पूर्व उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(9) State of Tamil Nadu rep by Sec. & Ors Vs K Balu & Anr³ में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के अनुपालन में बार अनुज्ञापनों के प्रकरणों में किसी क्षेत्र के नगर निकाय के समतुल्य विकसित होने पर निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला बार समिति का होगा और जिला बार समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा तदनुसार आवश्यक आदेश निर्गत किया जायेगा। अन्य फुटकर दुकानों के प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर (लाइसेंस प्राधिकारी) को प्रदान किया जाता है। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथावश्यकता स्थानीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त की जा सकती है।

(10) आसवनियों द्वारा क्रय की गयी विशेष स्पिरिट यथा एच.बी.एस., आदि की मात्रा को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से असंबद्ध अतिरिक्त क्रय की गयी विशेष स्पिरिट यथा एच.बी.एस. आदि पर ₹0.50/- प्रति बल्क लीटर की विशेष अतिरिक्त लाइसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

(11) आसवनी/यवासवनी परिसर में यथावश्यकता 2 प्रवेश और निकास द्वार स्थापित किये जा सकेंगे परन्तु प्रत्येक ऐसे द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समस्त व्यवस्थाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(12) बॉण्ड अनुज्ञापनों द्वारा प्राप्त किये गये एक्साइज़ एडेसिव लेबिल्स का पैत्रिक इकाइयों तक परिवहन के विकल्पों, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों आदि के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गाइड लाइन जारी की जायेगी जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) प्रीमियम रिटेल वेण्ड के ऐसे आवेदक जो अन्य प्रदेश के निवासी हैं, को अपने प्रदेश से निर्गत सरकारी बकाया न होने से संबंधित अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे आवेदक को उसके ऊपर कोई सरकारी बकाया न होने का ₹100/- के नॉनजुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(14) राजस्वहित में गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA एवं मण्डी समिति इत्यादि तथा प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों एवं मण्डी समिति द्वारा उनकी भूमि पर अनुज्ञापियों को आवश्यकतानुसार मदिरा की दुकान परमानेंट अथवा प्री फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर में खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकेगी कि वह स्थान उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) एवं इस संबंध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूर्ण करता हो। इसका किराया संबंधित अर्बन बॉडी/प्राधिकरण को सीधे अनुज्ञापी से प्राप्त होगा। इस हेतु यदि संबंधित प्राधिकरण, औद्योगिक विकास क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरण को अपने बाईलाज या नियमावली में परिवर्तन की आवश्यकता हो, वह उसे सक्षम स्तर से परिवर्तित करवायेंगे।

(15) प्रदेश के विकास एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आईटी/आई टी ई एस भूखण्डों में संस्थागत सुविधाओं के अंतर्गत अनुमन्य रेस्टोरेंट कैंटीन के साथ-साथ रेस्टोरेंट बार तथा प्रीमियम रिटेल वेण्ड की सुविधा अनुमन्य किया जाता है।

(16) निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस

निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उक्त व्यवस्था को सरलीकृत करते हुये वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिये वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस ₹ 11,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि ₹2,500/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में देय होगी। वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 03 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 03 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 02 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।



(17) वर्ष 2026-27 में प्रत्येक पी.डी.-2 अनुज्ञापन प्राप्त आसवनी में शीरा संचय की उचित आवश्यक क्षमता का निर्धारण करते हुये तदनुसार आवश्यक शीरा संचय क्षमता हेतु अतिरिक्त टैंकों की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(18) एक ही वाहन से कई गंतव्य जनपदों को बीयर/प्रदेश में उत्पादित वाइन का पारेषण भेजने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, किसी यवासवनी/द्राक्षासवनी को, अनुमति दिये जाने का अधिकार उप आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

प्रतिबंध यह होगा कि ऐसी अनुमति एक बार में एक वाहन से अधिकतम तीन गंतव्य जनपदों हेतु ही दी जायेगी।

(19) उत्तर प्रदेश में उगाए गए फूलों, सब्जियों, गैर-मादक जड़ी-बूटियों, अंगूर, शहद और अन्य फलों का उपयोग करके वाइन के निर्माण के लिए द्राक्षासवनी के संचालन के वर्ष से 5 वर्षों तक प्रतिफल शुल्क का मुख्य घटक, द्राक्षासवक से नहीं लिया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क, विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क और अन्य शुल्क देय होंगे।

(20) (क) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला के स्थान पर आबकारी आयुक्त से प्राधिकार प्राप्त कर आसवनी के प्रयोगशाला में सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में भी किया जाना अनुमन्य किया जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार पूर्व से निर्धारित परीक्षण शुल्क यथावत आरोपित होगा। देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के नमूनों का परीक्षण आसवनी की प्रयोगशाला में किये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण रिपोर्ट को सत्यापन स्वरूप प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस परीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर प्रविष्ट कराने हेतु आसवनी द्वारा डिजिटल एल्कोहल मीटर को स्वयं के व्यय पर विभागीय पोर्टल से इण्टीग्रेट कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ख) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के नमूनों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशालाओं में ही किया जायेगा जिसका परीक्षण शुल्क ₹ 160/- प्रति नमूना से बढ़ाकर ₹ 250/- प्रति नमूना निर्धारित किया जाता है।

(ग) आसवनियों से विशेष विकृत आसव के निकासी पूर्व के नमूनों को परीक्षणार्थ प्रेषित किये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निकासी के पश्चात के नमूनों को यथावत परीक्षणार्थ प्रेषित किया जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(21) फुटकर दुकानों की अवस्थिति में परिवर्तन (दुकान स्थानांतरण) का अधिकार मण्डलायुक्त/आबकारी आयुक्त के स्थान पर लाइसेंस प्राधिकारी (संबंधित जनपद के कलेक्टर) को प्रदान किया जाता है।

(22) जनपद-गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के प्राधिकरणों अधिसूचित क्षेत्रों को आबकारी विभाग के प्रयोजनार्थ नगर निगम के समकक्ष माना जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(23) वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु देशी मदिरा /यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन की समस्त फुटकर दुकानों द्वारा सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी पर आन लाइन प्रस्तुत किये

जाने वाले इण्डेण्ट के सापेक्ष इण्डेण्ट प्रस्तुत करते समय ही, थोक अनुज्ञापनों को अनिवार्यतः विभाग द्वारा विहित बैंक के पूल एकाउंट में आनलाइन भुगतान किये जाने की व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जायेगी।

(24) वर्ष 2026-27 में थोक अनुज्ञापनों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्रों के सापेक्ष मदिरा मूल्य एवं टी.सी.एस. आदि(कुल देय प्रतिफल शुल्क को छोड़कर) की धनराशियाँ आपूर्तक/आसवक को पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन हस्तांतरित करने की व्यवस्था विकसित की जायेगी।

1.17 ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली

(क) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है जिसमें मदिरा की बोतलों/पेटियों पर चस्पा कोड्स को स्कैन कर उत्पादन, पारेषण, थोक एवं फुटकर दुकान से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) गो-लाइव किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त देशी मदिरा/कम्पोजिट दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार अनुज्ञापन और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

(ख) वर्ष 2026-27 में फुटकर दुकानों से मदिरा की बिक्री पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही सक्षम स्तर से की जायेगी।

(ग) प्रदेश की समस्त आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों के प्रवेश/निकास द्वार/द्वारों पर ए.एन.पी.आर. कैमरों, जिनकी लाइव फीड इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर लखनऊ तथा संबंधित डाटा आई.ई.एस.सी.एम.एस. पोर्टल को प्रेषित किया जायेगा, को आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी के स्वयं के खर्च पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) आसवनियों/यवासवनियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले पैकिंग मैटीरियल्स का लेखा जोखा विभागीय पोर्टल पर कैचर किया जायेगा। साथ ही ग्रेन आधारित आसवनियों द्वारा क्रय किये गये और प्रयोग किये गये विभिन्न प्रकार के अनाजों का लेखा जोखा भी विभागीय पोर्टल पर कैचर किया जायेगा।

(ङ) आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्देशित समस्त डिजिटल डिवाइसों की व्यवस्था/स्थापना संबंधित आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।

(च) इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) के सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक मदिरा उत्पादक इकाई को एक्साइज एडेसिव लेबिलों की समयांतर्गत एवं पर्याप्त आपूर्ति करना अनिवार्य है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि एक्साइज एडेसिव लेबिलों की आपूर्ति में उत्पन्न किसी बाधा अथवा सेवा प्रदाता द्वारा एक्साइज एडेसिव लेबिलों की आपूर्ति में असफल रहने के कारण राजस्वक्षति की संभावना होती है अथवा आपूर्ति एक्साइज एडेसिव लेबिल्स

मानक के अनुसार न होने के कारण अप्रयोज्य पाये जाते हैं तब ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित उत्पादक इकाई को समान विशिष्टियों वाले एक्साइज़ एडेसिव लेबिलों के प्रयोग की अनुमति निर्धारित एक्साइज़ एडेसिव लेबिलों की आपूर्ति बहाल होने तक राजस्वहित में प्रदान कर सकेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग किये गये एक्साइज़ एडेसिव लेबिलों के सापेक्ष ₹ 0.09/- राजकोष में नहीं जमा कराया जायेगा और साथ ही किसी माह में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयुक्त कुल एक्साइज़ एडेसिव लेबिलों के सापेक्ष सेवा प्रदाता को प्रति बोतल की स्कैनिंग कर की गयी बिक्री के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली निर्धारित धनराशि की कटौती, अन्य शास्तियों के अतिरिक्त उस माह के मासिक भुगतान से की जायेगी।

1.18 नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पॉसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बजट का प्रावधान

नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken Driving (3) Responsible Consumption पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने हेतु मद्यनिषेध विभाग तथा सूचना विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जायेगा।

1.19 विभाग का सुदृढीकरण

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2024-25 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2025-26 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगी:-

- (i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- (ii) विभाग की प्रयोगशालाओं, आसवनियों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग किया जायेगा।
- (iii) आबकारी नीति के निष्पादन हेतु जिला स्तरीय आबकारी अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव को आबकारी आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iv) आसवनियों में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लांटों में मास फ्लो मीटर, राडार आधारित लेवल ट्रांसमीटर एवं बाटल काउण्टर पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- (v) डाटा के संकलन, संरक्षण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित कार्य हेतु एक डेटा एनेलिटिक्स फर्म को आबद्ध किया जायेगा।
- (vi) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक की आयु के अनुभवी 03 कार्मिकों को एक मुश्त मासिक मानदेय पर कंसल्टेंट के रूप में रखा जायेगा। मानदेय की धनराशि प्रभावी शासनादेशों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन(बिना

राशिकरण के) की धनराशि घटाने के बाद प्रतिमाह होगी। इनकी तैनाती एवं मानदेश निर्धारण के संदर्भ में निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के प्राविधानों के अंतर्गत आबद्ध किये गये परामर्शदाताओं की सेवायें यदि आबकारी आयुक्त द्वारा संतोषजनक पायी जाती हैं तब उनसे सहमति प्राप्त कर वर्ष 2026-27 हेतु उपर्युक्त प्रतिबंधों/शर्तों पर उनके आबद्धीकरण की अवधि आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तारित की जा सकेगी। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग में एक सोशल मीडिया सेल/आई.टी.सेल की स्थापना की जायेगी। इस हेतु प्रभावी शासनादेशों के अनुसार दो कार्मिकों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा सकेंगी।

(vii) पोर्टेबल स्कैनर्स जो बंद वाहनों की त्वरित तलाशी/स्कैनिंग हेतु उपयुक्त हों का क्रय किया जायेगा।

(viii) एन.आई.सी. के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने विभागीय पोर्टल हेतु साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।

(ix) वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 302 संविदा वाहनों के आबद्धीकरण की विभाग को प्रदत्त अनुमति को कार्यहित में तथा प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु 315 वाहनों हेतु वर्ष 2026-27 हेतु विस्तारित किया जाता है।

(x) वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय वाहनों के सुचारु संचालन के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में यथावश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैनपावर सर्विस ली जा सकेगी।

1.20 वर्ष 2026-27 के लिये अनुमानित राजस्व

वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग ₹60,000/- करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

1.21 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में

मा. मंत्रिपरिषद से आबकारी नीति की स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

"मा. मंत्रिपरिषद से आबकारी नीति की स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान, निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यावहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधिकृत किया जाता है तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

1.22 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें

(1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/राजस्व अथवा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो

पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में तर्कसंगत कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में जिला प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं आबकारी विभाग का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित होगा।

1.3 आबकारी नीति के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही

आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये राजस्व क्षति(यदि कोई अवधारित होती हो) की वसूली भी की जायेगी।

2. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रतर कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराये जाने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अभिषेक आनंद)
विशेष सचिव।

तालिका-1

Sr. No.	Category of CL/UPML	UPML 42.8% v/v (spiced) with Caramel	UPML 28% v/v (spiced) with Caramel	UPML 42.8% v/v (spiced) with Caramel	UPCL 36% v/v (spiced) with Caramel	UPCL 25%v/v (Flavoured) with Food Colour	Rate per Litre for 36% v/v
1	Category	Grain	Grain	Grain	Molasses	Molasses	
2	Pack size	200ml	200ml	100ml	200ml	200ml	
3	EDP (₹)	9.74	7.80	5.31	6.64	5.56	
4	Consideration Fee (₹)	64.92	42.47	32.46	54.6	37.92	273.00
5	Wholesaler's Margin (₹)	1.02	0.66	0.51	0.86	0.59	4.30
6	Calculated interim Sale price from wholesale (₹)	75.68	50.93	38.28	62.10	44.07	
7	Retailer's Margin (₹)	13.69	8.96	6.84	11.52	8.00	57.60
8	Calculated interim MRP (₹)	89.37	59.89	45.12	73.62	52.07	
9	MRP after round off up to nearest Rs. 5 (₹)	90	60	50	80	55	
10	Additional consideration Fee (₹)	0.63	0.11	4.88	6.38	2.93	
11	Actual MRP (₹)	90	60	50	80	55	
12	Total Consideration Fee (₹)	65.55	42.58	37.34	60.98	40.85	
13	Actual sale price from wholesale (₹)	76.31	51.04	43.16	68.48	47	